हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 1981

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार 12 मार्च, 1981

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(4)18
अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)26
शोक प्रस्ताव	(4)27
11.3.1981 को चौधरी जगजीत सिंह पोहलू, एम.एल.ए. के निलम्बन सम्बन्धी निर्णय को रद्द करना।	(4)30
स्थगन प्रस्ताव –	
लोहारू में कुछ गड़बडऋ सम्बन्धी	(4)33
11.3.1981 को चौ. जगजीत सिंह पोहलू, एम.एल.ए. के निलम्बन सम्बन्धी निर्णय	(4)34

को रद्द करना (पुनरारम्भ)	
वाक आउट	
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	(4)37
गांव गढ़ी, तहसील हांसी के निवासी श्री गुंगन सुपुत्र झाबर की गिरफतारी तथा बाद में सिविल हवालात हांसी में उसकी मृत्यु सम्बन्धी	(4)38
वक्तव्य –	
राजस्व मंत्री द्वारा गांव गढ़ी, तहसील हांसी के निवासी श्री गुगन, सुपुत्र झाबर की गिरफ्तारी तथा बाद में सिविल हवालात हांसी में उसकी मृत्यु सम्बन्धी	(4)39
गैर सरकारी संकल्प–	
पिछड़ी श्रेणियों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा सुधारने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)	(4)40
16 मार्च, 1981 को प्रश्नोत्तर काल निलम्बित करना	(4)42

गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(4)43
क्लीयर	(4)53
वाक आउट	(4)60
नेंमिग आफ मैम्बर	(4)60
गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(4)61
बैठक का निलम्बन	(4)61
क्लोजर (पुनरारम्भ)	(4)62
गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(4)63
बैठक का समय बढ़ाना	(4)68

हरियाणा विधान सभा

वीरवार 12 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़, में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Remission of Abiana in District Sirsa

***2154. Sh. Mani Ram**: Will the Minister for Revenue be pleased to state the extent to which the abiana has been remitted for the crops of Kharif, 1979, Rabi, 1980 and Kharif, 1980 in those villages of district Sirsa where 50% or more than 50% crops had been damaged due to natural calamities?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh): Total remission of abiana pertaining to areas irrigated by canals in district Sirsa where 50% or more crops have been damaged is as under:-

	Amount remitted
Kharif, 1979	Rs. 9.28 lacs
Rabi, 1979-80	Rs. 14.94 lacs
Kharif, 1980	Rs. 14.77 lacs

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रैवेन्यू डिपार्टमैंट वाले, कैनाल डिपार्टमैंट वालों के पास पूरी सूचना भेजते हैं कि इतना डैमेज हुआ है? हमें तो ऐसा लगता है कि रैवेन्यु डिपोर्टमैंट वाले कैनाल डिपार्टमैंट वालों के पास सूचना न हीं भेजते हैं।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं आनरेबल मैम्बर साहब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पहले हम रैवेन्यु डिपार्टमैंट वालों से ही सूचना मंगवाने हैं कि आप बताएं कि कितना डैमेज हुआ है, तभी उसके बाद कार्यवाही की जाती है। रैवेन्यु डिपार्टमैंट वालों से सूचना मंगवाने पर ही 50 परसैन्ट डैमेन पर हमने रिकवरी सस्पैन्ड की है।

श्री अध्यक्ष: क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि अगर कहीं पर इसकी खबर न पहुंची होगी तो वे सबको

जहां–जहां पर 50 परसैन्ट डैमेज हुआ है, इसकी खबर कर देंगे कि वहां पर रिकवरी सस्पैन्ड कर दी गई है।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैं इसका विश्वास दिलाता हूं कि हम सर्कुलेट कर देंगे।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में खरीफ, 1980 के आगे लिखा है कि बरबाद हुई फसलों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। मैं आपकी मारफत उनसे यह जानना चाहताह ूं कि वे कब तक यह ब्यौरा कलैक्ट कर लेंगे और दूसरा इन्होंने कोई एस्टीमेट बनाया है कि इतना डैमेज हुआ है और सरकार की बरबाद फसल पर आबियाना देने के बारे में पालिसी क्या है?

सरदार तारा सिंह: मेरे विचार से स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्ता ने जब मैंने बताया सुना नहीं है। मैंने कहा था कि जहां पर 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल बरबाद हुई है, वहां टोटली आबियाना सस्पैन्ड किया जाएगा।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, 1980 की खरीफ की गिरदावरी नवम्बर में खत्म हो गई और जब गिरदावरी खत्म हो गई तेा इनके पास उसके आंकड़े भी आ गये होंगे कि फलां फलां जगहों पर हेल स्टार्म या दूसरे कारणों से नुकसान हुआ है। तो मे। आपके जरिये मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि उन्होने अपने जवाब में बताया है कि बरबाद हुई फसलों का ब्यौरा

एकत्रित किया जा रहा है कि यह सूचना एकत्रित करने में कौन सी दिक्कत है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बता दिया है कि यह इन्फर्मेशन कुलैक्ट कर ली है और उसका 14.77 लाख रूपये का एस्टीमेंट बना है।

चौ. हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, जहां पर नैचुरल क्लेमिटी के कारण फसलें बरबाद हो जाती हैं, वहां पर पटवारी जिन जमीदारों से मिल जाते हैं, उनके बारे में तो रिपोर्ट लिख देते हैं लेकिन और दूसरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं। मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त भी किसी जमींदार की जमीन के नुक्सान का जायजा लिया जाए तो उसे उसी वक्त स्पाट पर ही एक सर्टीफिकेट दे दिया जाए कि आपका इतना नुक्सान हुआ है। क्या सरकार इस तरह का कोई सिस्टम अडाप्ट करने का विचार रखती है ताकि जमीदार लोग हार्डशिप से बच सकें?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): स्पीकर साहब, जहां पर इस प्रकार की नैचुरल क्लेमिटी होती है वहां पर पटवारी गिरदावरी करता है और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार, तहसीलदार और दूसरे बड़े अधिकारी उसकी चैंकिग करते हैं। हमारे नोटिस में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है, अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे नोटिस में लाई जाएगी तो हम उसका नोटिस लेंगे।

श्री अध्यक्ष: क्या रैवेन्यु डिपार्टमैंट वालों की नायब तहसीलदार या दूसरे अधिकारियों को इस तरह की हिदायतें है कि वे जहां जहां पर डैमेज हुआ है, वहां जाकर इस बात की चैंकिग करें या कि वे अपने आप ही वहां जाकर अपनी मर्जी से चैक करते हैं?

चौ. शेर सिंह: हां जी, हमारी तरफ से अधिकारियों को इस बात की हिदायतें हैं कि वे वहां जाकर चैक करें।

चौ. हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, यह हार्ड फैक्ट है कि जो कुछ पटवारी कहता है, बड़े अधिकारी भी वही लिखते हैं। यह लोगों के लिए बड़ी हार्डशिप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिये सरकार यह करे कि गिरदावरी करते वक्त उस इलाके के मोहतबिर आदमी भी लिए जाएं और उसी समय किसानों को हय बताया जाए कि इतना खराबा है।

Mr. Speaker: What I can suggest is that the M.L.As of the area may be taken along by the revenue officers.

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह कर देंगे।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, बूरा साहब ने जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल सही है और सारा हाउस इसको एंडोर्स करता है। इसलिए सुपरवीजन के वक्त पर उसी गांव के काश्तकारों को और दूसरे सम्बन्धित लोगों को भी साथ लिया जाना चाहिए और बाताया जाना चाहिए कि पटवारी ने यह यह

रिकार्ड बनाया है ताकि लोग हार्डशिप से बच सकें। मैंने इस तरह के सुझाव पहले भी दिए थे और अब फिर दोहरा रहा हूं ताकि लोगों के साथ किसी प्रकार की हेराफेरी न हो और काश्तकारों को सही पोजीशन का भी पता चल सके। होता क्या है कि जब गिरदावरी को 6 महीने के लगभग बीत जाते हैं और फसल भी उठा ली जाती है तो मामला बीच में ही रफा दफा हो जाता है।

चौ. शेर सिंह: जब पटवारी गिरदावरी के लिये जाता है तो वह खेत खेत में जाता है और वहां के नम्बरदार और दूसरे काश्तकारों को अपने साथ ले जाता है और लोगों को फसल की नैचुरल क्लेमिटी के बारे में अवगत कराया जाता है। इस प्रकार की हमारे विभाग की तरफ से हिदायतें हैं।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, यह गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं बताया जाता।

Mr. Speaker: I can only request the Government to ensure that their orders are implemented.

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, ओला वृश्टि की वजह से या किसी और वजह से जो फसलों का नुकसान होता है उसकी उसी टाइम पर नहीं देखा जाता बल्कि 15–20 दिन के बाद देखा जाता है है जिसकी वजह से असली नुकसान का जाती है?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गांवों में जमीदारों की 100 प्रतिशत फसल खराब हो जाती है लेकिन कागजात में उसे 50 प्रतिशत भी नहीं दिखाया जाता जिसकी वजह से जमीदारों को रिलीफ नहीं मिल पाती इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है?

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब, किसी किसान का जितना नुकसान होगा उसे पर एकड़ के हिसाब से रिलीज दी जाती है। अगर उसके पास दास एकड़ जमीन है और उसमें से एक एकड़ खराब हो गई तो एक एकड़ का ही रिलीफ दिया जाएगा। यह फैसला भजन लाल सरकार ने किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह फैसला देवी लाल गवर्नमैन्ट ने किया था आप रिकार्ड चैक कर सकते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: यह क्वैश्चन आवर है। यह इनवैस्टीगेशन करने का समय नहीं है कि यह फैसला कौन सी गवर्नमैंट ने किया था। आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं।

चौ. ईश्वर सिंह: स्पीकर साहब, घग्गर नदी पंजाब और हरियाणा के बार्डर के साथ चलती है और जब बरसात आती है तो इसमें बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से बहुत नुक्सान हो जाता है। परन्तु अब बरसात के बाद जब उस नदी से जमीदार पानी जमीनों को लगाते हैं तो उस पर आबियाना लगाया जाता है। मैं

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस आबियाने को माफ करेंगे?

सरदार तारा सिहः इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए क्योंकि यह इससे संबन्धित नहीं है।

Stadium at Rewari

***1960. Rao Ram Narain**: Will the Minister for Transport be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the Director of Sports, Haryana got the plans and designs for the construction of stadium at Rewari prepared from the State Architecture Department and the approximate cost of construction thereof was estimated to be Rs. 6 lakhs by the State Public Works Department (B&R) Branch;

(b) whether it is also a fact that the Deputy Commissioner Mohindergarh later got the fresh drawings and plans for the construction of the said Stadium prepared from a private Architect without the prior approval of the State Government and the estimates of cost of construction thereof were enhanced by Rs. 10 lakhs; if so, the action taken by the Government in the matter;

(c) whether it is also a fact that an agreement was entered into by the Deputy Commissioner, Mohindergarh with a private Architect entitling him to a commission of 2½% on the estimated cost of construction of Rs. 16 lakhs and an

advance payment o Rs. 12000/- was made to him; if so, the reasons therefor;

(d) if so, the action taken or proposed to taken by the Government on it; and

(e) the time by which the construction work on the said Stadium will be started and completed?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a) The Sports Department of Haryana got plans and drawings prepared by the State Architecture Department for construction of cheap stadia in the districts. On the basis of the plans and designs for cheap stadia, a set of drawings were sent to the President, Stadium Committee, Rewari alongwith estimates of Rs. 527500 /- prepared by the State P.W.D. (B&R).

(b) The Stadium Committee, Rewari did not approve of the plans and designs prepared by the State Architecture Department. Instead, the Stadium Committee engaged a private Architect to prepare the plans and designs for the Rewari Stadium. The Stadium Committee, Rewari, is an autonomous body as such, it does not require the approval of the State Government for employing a private Architect. The Cost of construction estimated on the basis of the plans and drawing prepared by the private Architect comes to Rs. 16 lacs. The Present, Stadium Committee, Rewari, has informed the Government that the revised plans are of the improved design and more ambitious in scale.

(c) The Stadium Committee, Rewari, entered into an agreement with the private Architect entitling him to a commission of 2.5% on the cost of construction of Rs. 16 lacs. The then, Deputy Commissioner did not enter into an agreement with the private Architect but it was the Stadium Committee, Rewari which executed the deed of agreement. As per terms and conditions of the deed of agreement, the Architect was to be paid 20% of the total free payable to him @2.5% of the total estimated cost of construction of submission of the drawings and cost estimates. On approval of the same he was to have been paid another Rs. 8000/-. Out of the total demand of Rs. 16000/- made by the Architect, Rs. 12000/- have been paid so far which is in accordance with the terms and conditions of the above said agreement.

(d) The Government does not intend to take any action in the above regard.

(e) The President, Stadium Committee, Rewari, has informed us that the work on the Rewari Stadium will be taken up in phases. The construction of the boundary wall is likely to be started within this month and the first phase of the Project is likely to be completed within three months. The completion of the entire work on the stadium is likely to take two to three years depending on the availability of the funds with the Stadium Committee.

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार मशीनरी के जरिये एक एस्टीमेंट तैयार हुआ जो 527500 रू. का था और जो एस्टीमेट प्राइवेट आर्किटैक्ट द्वारा तैयार किया वह 16 लाख रू. का था, इतना अन्तर होने की क्या

वजह थी और कमेटी ने इतना बड़ा एस्टीमेट कैसे एडापट कर लिया, इसके पीछे कौन से ठोस रीज़नज थे? यह जो स्टेडियम कमेटी है इसके प्रेजीडैंट और मैम्बर्ज कौन कौन हैं? इसको औटोनोमस बौडी बतायाग या है इसमें मुझे क्रपशन की बू आती है।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, इन्होंने जितना बड़ा प्रश्न पूछा है उतना ही बड़ा मुझे जवाब देना पड़ेगा। यह सच है कि डिपार्टमैंट की तरफ से यह डायरेक्शन थी कि सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज पर करीब पांच पांच लाख की लागत के स्टेडियम्ज बनाए जाएं। लेकिन जहां तक रिवाड़ी का संबंध है वहां पर औटोनोमस बौडी है। डी.सी. उसका चेयरमैन है और जी.ए. एडमिनिस्ट्रेटर हैं और स्पोर्टस आफिसर इसका मैम्बर है। इसका प्रैजीडैन्ट किसी को भी बना सकते हैं। जहां तक 16 लाख के एस्टीमेट की बात है उसके बारे में निवेदन यह है कि भिवानी के अन्दर इससे भी बढ़िया स्टेडियम की स्कीम है। रिवाड़ी का एरिया खेल कूद के हिसाब से काफी आगे से इसलिये इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पर यह सब कुछ किया गया है। यह पूरी कमेटी ने फैसला किया था अकेले डी.सी. या प्रैजीडैन्ट ने नहीं। राव साहब रिकार्ड चैक कर सकते हैं एग्रीमैंट पर डी.सी. के दस्तखत नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर और स्पोर्टस आफिसर के दस्तखत हैं इसलिये इसमें कोई बू वाली बात नहीं है। अगर राव

साहब को बू आती है तो वे सी.एम. साहब को लिख कर दे दें उसके हिसाब से कार्यवाही होगी।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर स्टेडियम बनाने की स्कीम है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आज तक उन्होंने किन–किन डिस्टिक्ट हैड क्वाटर्ज स्टेडियम कायम किय हैं? तकरीबन आठ साल पहले इन्होंने रोहतक में स्टेडियम बनाने के लिए 23 एकड़ जमीन खरीदी थी लेकिन बाद में इन्होंने उस साईट को डिस–एप्रूच कर दिया है। क्या सरकार इम्पौर्टेट प्लेसिज जैसे रोहतक है, रिवाडी है, इन में स्टेडियम बनायेगी, अगर बनायेगी तो कब तक कार्य चालू हो जाएगा और कब तक वे बन कर कम्पलीट हो जायेंगे?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, यह ठीक है कि रोहतक, जींद, रिवाड़ी जैसे जिलों में अभी तक स्टेडियम नहीं बने हैं लेकिन हिसार और मधुबन में स्टेडियम कम्पलीट हैं। भिवानी, अम्बाला और सिरसा में काम शुरू हो चुका है, लेकिन जहां तक पैसे की बात है, फाईनैंस डिपार्टमैंट और प्लेनिंग वाले हमें पैसा कम देते हैं और जितना पैसा देते हैं, उसी से थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं। पिछले साल 34 लाख रूपया दिया और अगले बजट में 60 लाख रूपया मिलने की उम्मीद है। जहां तक रिवाड़ी के स्टेडियम का ताल्लुक है, इस का काम अगले साल चालू हो जाएगा, इसके लिए टैंडर इन्वाईट किये जा चुके हैं। रिवाड़ी का

स्टेडियम उस टाईम से शुरू है जब हमारे स्पीकर साहब स्पोटर्स डिपार्टमैंट के मिनिस्टर हुआ करते थे। उस वक्त इसके लिए पैसा सैक्शन हुआ था और अब तीन साल के बाद इसका काम शुरू होगा। पैसे की कमी है, अगर पैसा ज्यादा मिल जाए और फाईनैंस डिपार्टमैंट और प्लानिंग वाले हमें ज्यादा पैसा दे देते हैं तो जल्दी से जल्दी बना दिया जाएगा। पैसे की जरूरत इसी डिपार्टमैंट को नहीं, सब डिपार्टमैंटस को जरूरत है, इसी लिए काम रूके हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने जो कहा कि जब मैं स्पोटर्स मिनिस्टर था तब मैंने रिवाड़ी के स्टेडियम के लिए पैसा सैक्शन किया था, यह बात दुरूस्त है। जब मैं स्पोटर्स मिनिस्टर था तब सैंक्शन किया था और डी.सी. ने बार बार मुझे अश्योर करवाया था कि स्पोर्टस डिपार्टमैंट ने इसके लिए सवा पांच लाख की स्कीम बनाई है और इस स्कीम में मुताबिक काम चालू होगा। इस काम में मैं पर्सनली इन्ट्रैस्ट ले रहा था लेकिन डी.सी. ने बगैर मुझे बताये हुए एक प्राईवेट आर्किटैक्ट को इसका ठेका दे दिया। (शेम–शेम की आवाजें) मुझे बाद में पता चला कि यह आर्किटैक्ट वही था जिसे डी.सी. सिरसा ने भी काम दिया था। मुझे फरदर पता चला है कि इसी आर्किटैक्ट न उसी डी.सी. का मकान फरीदाबाद मं बनवाया है (व्यवधान)

Sh. Verender Singh: We demand that the Government should resign. (Noise and Interruptions.)

चौ. राम लाल वधवा: सरकार इस्तीफा दे। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Please sit down, when I am on my legs. इसके बाद मुझे यह भी पता चला कि इस आर्किटैक्ट को जो पैसे देने थे वह उसे दिए जा चुके हैं और उसके बाद एग्रीमैंट कैंसिल हो गया है। अब इस आर्किटैक्ट का इस स्टेडियम से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अगर इतना पब्लिक का पैसा लगा हो और स्पोर्टस डिपार्टमैंट कोई कार्यवाही न करे तो मुझे यह बड़ी दुःख की बात लगती है। (व्यवधान)

कई सदस्य: इस प्वामैंट पर गवर्नमैंट रिजाईन करे। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब इसके बारे में मैं जरा ऐक्सप्लेन कर देता हूं। (व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इसमें बड़ा भारी घपला है, गवर्नमैंट को रिजाईन करना चाहिए। (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: देखिए, मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Please sit down. The leader of the House is speaking. जहां इतना बड़ा काम चला रहा हो, वहां छोटे–मोटे घपले हो ही जाते हैं। The duty of the Government is only to ensure that proper enquiries are held and action taken. So, I think, the demand of the opposition members कि गवर्नमैंट रिजाईन करे, यह मुझे अनरीजनेबल डिमांड लगती है। (व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: अगर गवर्नमैंट रिजाईन नहीं करती तो कम से कम श्री जगन नाथ को जरूर रिजाईन दे देना चाहिए। (व्यवधान) स्पीकर साहब, आपके इतनी बात कहने के बावजूद भी क्या यह इनको शोभा देता है कि मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा रहे और रिजाईन न करे? उनको तो जरूर डिजाईन कर देना चाहिए (शोर एव व्यवधान)

चौ. भजन लाल: जरा सुनने का कश्ट तो कीजिए। (शोर एव व्यवधान) स्पीकर साहब, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

Mr. Speaker: No interruptions please. The leader of the House is on his feet and I would request the hon. Members to listen to him quietly.

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी और राव राम नारायण की बात सुन कर दु:ख हुआ है। अगर आपके नोटिस में यह बात थी तो आज तक आप सरकार के नोटिस में क्यों नहीं आए? (व्यवधान)

Sh. Jai Narain Verma: This is an aspersion on the Speaker. (Noise and Interruptions.)

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, this is an aspersion on the Chair, (Interruptions).

चौ. भजन लाल: आप सुन तो लीजिए, जरा सुनने की कृपा करें। (व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह चेयर पर असर्पशन है। (शोर एव व्यवधान)

Mr. Speaker: We had arrived at a gentleman's agreement that when the leader of the House, or the leader of the Oppostion or in fact any legislator is on his feet, every body would listen to him quietly and would not interrupt him in the middle because his chain of thoughts is broken. (Interruptions)

Dr. Mangal Sein: If he is acusing you, Sir, then we will have to interrupt. (Interruptions)

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, this is an aspersion on the Chair. Therefore, we are interrupting. It becomes a matter of privilege, Sir. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आज ही आप हमारे नोटिस में यह बात लाये हैं और राव राम नारायण भी अजा ही हमारे नोटिस में लाये हैं। हम इसकी पूरी जांच करवायेंगे और जिस अधिकारी का कसूर होगा, उसको बिल्कुल भी मुआफ नहीं किया जाएगा, मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाता हूं।

Mr. Speaker: Thank you very much.

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, जब आप मिनिस्टर थे उस वक्त स्टेडियम की स्कीम सैक्शन हुई थी और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से 1 लाख 95 हजार रूपये दिये गये और सैन्ट्रल

गवर्नमैंट से 50 हजार रूपये किले हैं। अब वहां काम चल रहा है। जहां तक डी.सी. का सम्बन्ध है, वह पहले डी.सी. सिरसा था और बाद में बदल कर महिन्द्रगढ़ चला गया। जहां तक स्टेडियम बनाने का सम्बन्ध है, उसको यही स्टेडियम बनाने के लिए नहीं दिया गया था बल्कि उसने और भी स्टेडियम बनाये हैं जैसे कि अम्बाला का स्टेडियम इसके इलावा उसके बड़खल लेख और सूरज कुण्ड के टूरिस्ट कम्पलैक्सिज भी बनाये हैं। इनमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है। स्टेडियम बनाने के लिए एक औटोनोमस बौडी बनी हुई है जिसका चेयरमैन डी.सी. होता है। औटोनोमस बौडी अपनी मर्जी से काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमैंट तो डायरैक्शन दे सकती है, परन्तु औटोनोमस बौडी का गवर्नमैंट की डायरैक्शन मानना कोई बाईडिंग नहीं है। यदि किसी ने हेराफेरी की है तो मैम्बर साहिबान लिख कर दे दें, हम देख लेंगे।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि कोई जगन नाथि जी होश में आकर बात करें। इन्होंने अभी यह कहा कि रिवाड़ी में जो स्टेडियम बन रहा है वह एक औटोनोमस बौड़ी.....(व्यवधान)

चौ. भजन लाल: यह तो स्टेडियम कमेटी रिवाड़ी है। (व्यवधान)

डा. मंगल सैन: भजन लाल जी, तुम तो रियाती पास हुए हो तुम्हें कया मालूम औटोनौमस क्या होता है? (व्यवधान) मुझे

बीच में क्यों टोक रहे हो? (व्यवधान) यह स्टेडियम कमेटी रिवाड़ी है जिसकी दुहाई जगन नाथ जी दे रहे हैं कि यह औटोनोमस बौडी हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा श्री जगन नाथ जी से जानना चाहता हूं कि यह औटोनोमस बौडी कैसे है जबकि इसके चेयरमैन डी.सी. हैं और कमेटी के मैम्बर एस.डी.एम. और जी.ए. बगैरा है। How is it called an autonomous body? I may be clarified.

10.00 बजे

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड अगर आई. ए.एस. औफिसर के चेयरमैन होने के बावजूद औटोनोमस हो सकता है तो यह क्यों नहीं हो सकता?

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन का हवाला दिया है। बिजली बोर्ड तो पार्लियामैंट द्वारा पास किए गए कानून के मुताबिक स्टैचुटरी औटोनोमस बौडी है। क्या मिनिस्टर साहब किसी कानून का या कानून के नीचे बने नियमों का हवाला दे सकते हैं जिनके मातहत यह औटोनोमस बौडी है?

श्री जगन नाथ: यह चूंकि रजिस्टर्ड बौडी हैं इसलिए औटोनोमस बौडी है।

Sh. Jai Narain Verma: Being a registered body is something else.

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, बाबू मूल चन्द जैन जी पुराने वकील भी है और मैं समझता था कि इतना तो इनको ज्ञान होगा। (विघ्न) मैं इनकी इज्जत करता हूं क्योंकि ये पुराने पार्लियामैंटरीयन हैं, संसद के मैम्बर भी रहे हैं, उमर में भी बहुत सीनियर हैं और उनका तजुर्बा भी ज्यादा है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि एस.डी.एम. एक ऐग्जैक्टिव औफिसर भी होता है जिसके पास ऐग्जैक्टिव काम के अतिरिक्त जुडीशियल काम भी होता है। जब रैवन्यू के केसिज में एस.डी.एम. अपनी कोर्ट लगाता है तो वह जुडिशियल नेचन का काम होता है और इन मामलों में उसे ऐप्रौच नहीं किया जा सकता और वह औटोनोमस होता है। परन्तु विकास के कार्यो के लिए उससे काम जा सकात है कि फलां फलां काम नहीं हुआ है उसके करवा दिया जाए। इसी तरह से यह जो कमेटी बनी हैं इसके फैसले का भी हमें इंडिपैन्डैन्स मानना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि इंक्वायरी की जाएगी लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक औबजर्वेशन जरूर करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस मैं तो यह बात नहीं लाया लेकिन डायरैक्टर औफ स्पोर्टस के नोटिस में यह बात रिपिटिडली लाई गई। But I am sorry to say that no action was takne inspite of my bringing it to the notice of the department concerned repeatedly, (Interruptions)

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, it is a very serious matter, लेकिन हाउस को मिसलीड किया जा रहा है।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने तो यह कहा है कि आपने इस मामले में मुझे कभी नहीं कहा।

चौ. राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, आप कृपया इस प्वायंट को क्लीयर कर दीजिए।

Mr. Speaker: This point is very clear. I have not brought the matter to the notice of the Chief Minister. He is right in saying that this was not brought to his notice. I thought it was too small a matter to be brought to the notice of the Chief Minister but it is a fact that I repeatedly brought the matter to the notice of the officials of the department concerned and I am constrained to remark that they failed to take any action on it. Now the Hon. Chief Minister has given an assurance to the House that इस बारे में इंक्ववायरी होगी। जिस औफिसर ने गलती की है, मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर औफिसर्ज लोग इस तरह से ध्यान नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। (विघ्न)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, आप हाउस की कमेटी नौमिनेट करें ताकि इस बारे में इंक्वायरी हो सके। (शोर)

श्री अध्यक्ष: नैक्सट क्वैश्चन।

Hydro Electric Generators

***2116. Sh. Kanwal Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that an agreement was made with a French firm to purchase Hydro Electric Generators for installation on the Hydro Project on the Yamuna Canal;

(b) whether it is also a fact that subsequently a team of the H.S.E.B. went to Japan for purchasing the said Hydro Electric Generators; and

(c) if so, whether the deal entered into with the French firm has been cancelled; if so, the reason therefor?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) No, Sir. No order was ever placed on any French firm for the purchase of turbines for Western Yamuna Canal Hydro Electric Project.

(b) No H.S.E.B. team was sent to Japan for the purchase of equipment. However, a 3-member team consisting of Chairman and Member Technical (Generation) of Haryana State Electricity Board and the Chief Engineer, Hydel of the Central Electricity Authority, consultant for the project, paid a short visit to Japan to withness the performance of similar type of power stations and exchange views with Managers of Public Utilities employing bulb type equipment.

(c) Does not arise, as no deal was ever made with any French firm.

श्री कंवर सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया है कि एक टीम स्टडी करने के लिए जापान गई थी और जो इक्विपमैंट स्टडी की गई वह जापानी थी। स्पीकर साहब, अगर इन्होंने कोई स्टडी करनी थी तो उसके लिए इन्हें उस जगह जाना चाहिए था जहां डिफरैन्ट टाईप और ब्रान्ड की इक्विपमैंट अवेलेबल थी? सैकंडली मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब स्टडी करने के लिए गए थे उनकी इस बारे में कोई टैक्निकल नौलेज है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर सहाब, बात यह है कि यह इन्विटेशन जापान की एक प्राईवेट पार्टी ने दिया था। इसके अलावा अर्ज यह है कि जिस तरह का प्रोजैक्ट हम यहां लगाना चाहते थे वैसे ही प्रोजैक्टस जापान में काम कर रहे हैं। उस पार्टी ने यह कहा कि उन प्रोजैक्टस की वर्किन्ग को हम अवश्य देखें। इस बात को हमने सैन्ट्रल गवर्नमैंट को लिखा और सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने भी यह महसूस किया कि बल्ब टाईप टरबाईन्ज की वर्किन्ग को एक टीम को वहां जाकर देखना चाहिए। जहां तक चेयरमैन की टैक्निकल नोलेज का सम्बन्ध है, इसके बारे में अर्ज यह है कि चेयरमैन बोर्ड का ओवर–आप इन्चार्ज होता है, और ऐक्चुअल तसल्ली उसकी होनी चाहिए क्योंकि जब कभी कोई बुरा काम होता है तो हैड आफ दी डिपार्टमैंट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। वैसे चेयरमैन के साथ हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के

टैक्निकल मैम्बर और सैन्ट्रल गवर्नमैंट के चीफ इंजीनियर भी गए थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि टैन्डर्ज कब इन्वाइट किए गए और कितनी फर्मज के टैन्डर आए थे?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यमुना हाइड्रो प्रौजेक्ट की स्कीम 1975–76 में बनी थी और उस वक्त भी यहां कांग्रेस की सरकार थी। वर्श 1977 में जब बनारसी दास गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यह स्कीम सैक्शन हुई। (विघ्न) 2–11–78 को इसके टैण्डर्ज ग्लोबल बेसिज पर काल किए गए। सारी वर्ल्ड में ऐडवर्टाईजैमैंट की गई कि जो भी देश इस प्रोजैक्ट को लगाना चाहे वह टैण्डर दे। 21.3.79 तक टैन्डर्ज आने थे। 22.3.79 को टैन्डर्ज खोले गए। 8 कम्पनीज ने टैंडर्ज दिए। 8 में से 4 कम्पनीज के टैन्डर्ज तो बहुत ऊंचे थे और बाकी के 4 टैन्डर्ज में थोड़ा थोड़ा अन्तर था। इसके लिए भारत सरकार की एक हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है जो ऐसे केसिज में फाईनल फैसला किया करती है। उस कमेटी ने यह फैसला किया कि जापान की फर्म की सारी इक्विपमैंट अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, जापान और फ्रांस की फर्मज के टैन्डर्ज में 27900000 रूपये का अन्तर था। जापान की फर्म का टैन्डर चूंकि लोएस्ट था इसलिए उसको भारत सरकार की मन्जूरी के बाद, आर्डर दिया गया। इसमें प्रान्तीय सरकार बहुत कम बीच में आती है।

डा. बृज मोहन गुप्ता: मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ताजेवाला में थोड़े दिनों पहले फारेन से जापान की या फ्रेन्च की टीम सर्वे के लिए आयी थी?

सरदार तारा सिंह: यह सैपरेट क्वेश्चन है मेन सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा कलियर कर देता हूं, फ्रेन्च की कम्पनी ने भारत सरकार को रिप्रेजन्टेशन दी थी कि हमारे केस की दोबारा देखा जाये। भारत सरकार ने केस ऐग्जामिन किया और ऐग्जामिन करने के पश्चात उन्हें बताया कि जापान की कम्पनी का टैन्डर 2 करोड़ 79 लाख रूपये कम का है इसलिए आपको काम नहीं दिया जा सकता। पूरी तसल्ली करने के पश्चात जापान की कम्पनी के टैन्डर को मन्जूर किया गया है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। * * * *

Mr. Speaker: No. No. It has no relevance and should not be recorded. Next question, Sh. Satvir Singh Malik.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मेरा एक सवाल नम्बर 2144 था, जो इस सवाल से पहले था। आपने उस सवाल को इस आधार पर डिस–अलाऊ कर दिया कि यह मामला सब–जूडिस है। स्पीकर साहब फरीदाबाद में इन्क्वायरी अफसर डेढ़ साल पहले लगाया गया था, अब तक इनके पास इन्क्वायरी रिपोर्ट तो आ

चुकी होगी। वे यह तो बता सकते थे कि उस इन्कवायरी आफिसर ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है या नहीं। अक्तूबर, 1979 का वाक्या है, आज डेढ़ साल हो चुका है। अगर हाउस में यह बात दें कि इन्क्वायरी रिपोर्ट उस अफसर ने क्या दी है तो इसमें कोई सब–जूडिस नहीं है। इन्क्वायरी के विशय में तो बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: इस विशय को मैं कलियर कर देता हूं। बाबू मूल चन्द जैन जी ने एक सवाल दिया था, वह मैंने ऐडमिट कर लिया था। गवर्नमैंट ने जवाब दिया कि मामला कोर्ट में है, सब–जूडिस है। जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब हो सकता था लेनिक उस पर जो सप्लीमेंटरी पूछे जाते उससे वह मामला प्रैजुडिस हो जाता। इसलिए मैंने अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करके उसको डिस–अलाऊ कर दिया है।

Mandi Sub-Yard at Village Chhichhdana of Tehsil Panipat

***2063. Ch. Satvir Singh Malik**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the date on which mandi sub-yard at village Chhichhdana, Tehsil Panipat was sanctioned together with the extent to which the work for the development of mandi there has so far been done alongwith the time by which the construction work of the said mandi will be completed?

Agriculture Minister (Sh. Shamsher Singh): A sub-market yard at village Chhichhdana, Tehsil Panipat was declared by the Government in January, 1979. So far a

platform with brick-on-edge flooring (Area 3100 Sq. Mt. having handling capacity of 900 MT per day) has been completed at site in September, 1980.

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं कृशि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब सितम्ब, 1980 में फर्श कम्पलीट हो गया था तो खरीफ की फसल की वहां पर आक्शन क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है?

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, खरीद का काम तो सिविल सप्लाई वाले शुरू करेंगे। इस बात से हमारा सम्बन्ध नहीं है। मार्किटिंग बोर्ड तो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ज्यों ही वे परचेज सैन्टर चालू करैंगे बाकी की फैसिलिटिज हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरील सप्लीमेंटरी इस मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है मगर मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें वरना उनकी मर्जी है। बास गांव में मंडी मन्जूर हुई थी। वहां कुछ कंस्ट्रशन हो चुकी है, लेकिन अब बीच में काम रोक दिया गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह कब तक पूरी होगी?

श्री शमशेर सिंह: इस बारे में मेरे पास इन्फर्मेशन नहीं है। अगर सैपरेट नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, जो सब–यार्ड बन रहे हैं यह गवर्नमैंट बनाने जा रही है, इनको बनाने के लिए गवर्नमैंट ने क्या क्राईटेरिया बनाया है और आगे आने वाले सालों में नये सब–यार्ड कहां कहां खोलने जा रही हैं?

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्राईटेरिया की बात की है इसके लिए गवर्नमैंट ने और मार्किटिंग बोर्ड ने तीन क्राइटेरिया फिक्स किये हैं।

1. जो ऐग्जिस्टिंग मंडी है यह सब–यार्ड है उससे नया सब–यार्ड दस किलोमीटर या दस किलोमीटर से ज्यादा फासले पर होना चाहिए।

2. आर्थिक तौर से वायबल होना चाहिए।

3. प्रिंसिपल यार्ड की आमदनी एक लाख 75 हजार होनी चाएिह, सब–यार्ड की एक लाख 25 हजार होनी चाहिए और परचेज सैन्टर की तीस हजार होनी चाहिए। जहां पर ये सैन्टर खुलेंगेउनमें प्रैफरेन्स वहां दी जायेगी जहां डाकखाना, बैंक और रेलवे की सुविधा हो।

Mr. Speaker: I must congratulate the Hon. Minister on a very clear and concise exposition.

चौ. राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब किसानों की सुविधा के लिए हमारी सरकार बहुत मंडियां बना रही है लेकिन सीमेंट की कमी के कारण उनकी कन्सट्रक्शन का काम बड़ी धीमी गति से हो

रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जहां पर सीमेंट के कारण मंडी का काम रूका हुआ है, वहां पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं? मेरे अपने हल्कें में मोहना मंडी अभी तक सीमेंट की कमी के कारण पूरी नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष: इसका मेन सवाल से सम्बन्ध नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं।

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, सीमेंट सिविल सप्लाईज डिपार्टमैंट हैन्डल करता है लेकिन मार्किट बोर्ड को जो सीमेंट ऐलोकेट होता है उसका हम प्राथमिकता के आधार पर डिस्ट्रिब्यूट करते हैं। जितना सीमेंट हमें मिलता है उसका प्रौपर यूज करने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपके यहां या कही और जगह ऐसी बात है कि सीमेंट के कारण काम रूका हुआ है तो उस बारे में हम जरूर गौर करेंगे।

चौ. रिजक राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सब यार्ड और मण्डियां बनाई जा रही है वे मार्किटिंग बोर्ड द्वारा किसी कन्ट्रैक्टर के माध्यम से बनवाई जा रही हैं या बोर्ड की कोई सब कमेटी बनवाती है। यदि कोई सब कमेटी बनवाती है तो उसका कान्स्टीच्यूशन क्या है?

श्री शमेशर सिंह: स्पीकर साहब, इस बात का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है। पूरी डिटेल का तो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे यह पता लगा है कि कुछ मण्डियां मार्किटिंग बोर्ड

ने पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जो मण्डियां मार्किटिंग बोर्ड बना रहा है उनकी देखरेख के लिए बोर्ड ने पी.डब्ल्यू.डी. से कुछ स्टाफ जैसे चीफ इन्जीनियर एक्सीयन और एस.डी.ओज. आदि डैपूटेशन पर लिए हैं।

चौ. रिजक राम: मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड ने क्या कोई सब कमेटी बना रखी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है। अगर अलग से नोटिस दें गे तो आपको मिनिस्टर साहब बता दें गे।

चौ. रिजक राम: मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि क्या कोई सब कमेटी है या नहीं, यदि है तो उसका चेयरमैन आदि कौन है?

Mr. Speaker: If the Hon. Minister, is in a position to give the information asked for by the hon. Member, he can do so.

श्री शमशेर सिंह: मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूरी इन्फर्मेशन मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: छिछराना मण्डी में फर्श लगाया गया था लेकिन वहां पर सिविल सप्लाई विभाग ने अभी तक परचेज शुरू नहीं की है। इस स्थान को मण्डी की मन्जूरी देकर

परचेज शीघ्र शुरू की जाये। यदि परचेज शुरू नहीं की जायेगी तो फर्श पर जो खर्च हुआ है उसका हर्जाना कौन देगा?

श्री शमशेर सिंह: इस संबंध में माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मार्किटिंग बोर्ड ने सिविल सप्लाई विभाग के साथ अभी तक कोई को–आर्डीनेशन नहीं की थी। इस पर्टीकुलर सवाल आने के बाद ही हमने सिविल सप्लाई विभाग को लिखा है इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि हम इस संबंध में भविश्य में जल्दी ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें दोनों डिपार्टमैन्टस के मंत्री भी शामिल होंगे। इन दोनों की को–आर्डीनेशन करके हम बाकायदा कोई कायदा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मार्किटिंग बोर्ड द्वारा 10 करोड़ रूपया किसानों को फैसेलिटीज दैन के लिए खर्च होना था। यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से ब्लाक पड़ा है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में बातयेंगे कि मार्किटिंग एक्ट में अमैंडमैंट करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं या कोई कमेटी मुकर्रर की गई ताकि किसानों का भला हो सके?

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में अपने माननीय सदस्य को बतना चाहूंगा कि इस इशू को हल करने के लिए एक सब कमेटी गठित की है जिसमें अधिकारीगण और तीन मंत्री शामिल किए गए हैं। हमने उस सब कमेटी की आज 11 बजे

मीटिंग बुलाई है। सरकार इसका कोई न कोई फैसला जल्दी ही ले लेगी।

सरदार सुखदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल पहले मुख्यमंत्री महोदय ने पब्लिकली अनाऊंसमैट की थी कि जिला सिरसा के अन्दर बड़ा गुढा में मण्डी बना दी जायेगी। लेकिन अब तक वहां पर कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां पर काम कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यदि मुख्यमंत्री महोदय ने कोई अनाऊंसमैंट की होगी तो मैं उसका पता कर लूंगा और वहां पर जल्दी ही काम शुरू करवा दिया जायेगा।

चौ. उदय सिंह दलाल: कुछ मण्डियों में लोगों ने खोखे, दुकानें या रेढ़ियां लगा रखी है जिनके कारण ट्रैक्टरों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दुकानों आदि को हटाने के लिए क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं जिसमें किसानों को अपना सामान मण्डियों में लाने ले जाने में कोई दिक्कत न आये?

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई सपेसिफिक कम्पलेट तो मेरे नोटिस में नहीं है। ये मेरे नोटिस में लायेंगे तेा मैं देख लूंगा।

चौ. उदय सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़, सांपला, झज्जर और नरवाना आदि बहुत सी मण्डियों में इस प्रकार की दिक्कत किसानों को पेश जा रही है।

श्री शमशेर सिंह: नरवाना मण्डी में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, छिछड़ाना में 35 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ने गवर्नमेंट को मण्डी बनाने के लिए दी थी। लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। अगर उस जमीन के प्लाट काट दिए जाये तो गवर्नमैंट का पैसा लगे बिना वहां पर मण्डी बन सकती है। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि वहां पर मण्डी बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मतलोड़ा जो कि प्रिंसिपल यार्ड है छिछड़ाना उसका सब यार्ड है इसलिए वहां पर मण्डी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अहर और उरलाना वहां से कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं जहां पर पहले से ही परचेज सेन्टर बने हुए हैं। दो या तीन साल पहले पिछली सरकार ने वहां पर परचेज सेन्टर बनाने का फैसला लिया था जो ठीक नहीं था। उस फैसले पर अब हम गौर कर रहे हैं कि क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रघुनाथ गोयल: अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल पहले कैथल के अन्दर नई मण्डी को नोटिफाई और पुरानी मण्डी को डि–नोटिफाई करने की अनाऊंसमैंट की गई थी। लेकिन उस बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया। पुरानी मण्डी में किसानों का अनाज खराब हो रहा है, क्या सरकार नई मण्डी बनाने के बारे में कुछ कदम उठाने जा रही है?

श्री शमशेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास ऐसी कोई इन्फर्मेशन नहीं है। ये मुझे हाउस से बाहर पूरी डिटेल बता दें। मैं इनकी दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।

श्री भले राम: मार्किटिंग बोर्ड मण्डियां बनाने के लिए जो प्लाट काट रहा है क्या उसमें ऐक्स–सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन है?

श्री शमशेर सिंह: जहां तक मुझे पता है मण्डियों के लिए जो प्लाट दिए जाते हैं वे नीलामी के जरिए दिए जाते हैं। उनमें मेरे ख्याल से कोई रिजर्वेशन आदि की क्लाज नहीं है।

श्री भले राम: मण्डियों में प्लाट देने के लिए रिजर्वेशन की जाये। इस बारे में पीछे भी हाउस में सी.एम. साहब ने अश्योरेंस दी थी।

श्री शमशेर सिंह: अगर अश्योरेंस दी होगी तो मैं देख लूंगा।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): मैंने ऐसी कोई अश्योरेंस नहीं दी।

Mr. Speaker: Hon. Members, Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Road upto Ghaggar Bridge

***2089 Chaudhri Ishwar Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any scheme to construct a road which is approximately two Kilometers in length from village Khambhera, Tehsil Guhla to Ghaggar Bridge ?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): जी नहीं।

B.Ed. (S.S. Masters) Registered with the Employment Exchange Rohtak

***2123 Captain Mange Ram :** Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state-

(a) the constituency-wise number of B.Ed. (S.S. Masters) belonging to the Scheduled Castes registered with the Employment Exchanges in Rohtak since 1.1.1970 ; and

(b) the names with their home addresses out of those referred to in part (a) above who have been provided employment ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी):

(क) रोजगार कार्यालयों द्वारा विधान सभा हलके अनुसार ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

Profit Accrued to Cooperative Banks in the State

***2152. Chaudhri Karam Singh :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the profit accrued to the Cooperative Banks in the State during the period from 30.6.79 to 30.6.80 and

(b) the district-wise number number of the branches of Cooperative Banks opened in the State during the period from 30.6.79 to 30.6.80?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर वीर सिंह):

(क)	502.79 लाख रूपये।	
(ख)	जिले का नाम	शाखाएं

1.	भिवानी	4
2.	कुरूक्षेत्र	3
3.	सिरसा	1
	कुल	8

Creation of Julana Block as a Sub-Tehsil

***2156. Chaudhri Zile Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to create the Julana Block as a Sub-tehsil; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Sub-tehsil is likely to be created?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह):

(ए) जी हां।

(बी) उप–तहसील किस तिथि तक बन जाएगी, इस बारे इस समय कोई निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

Share of Water from Canals

***2176. Sh. Tek Ram**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) total quantity of river water being received through canals in the State togetherwith the total acreage of land being irrigated thereby; and

(b) the total quantity of water which otherwise falls to the share of Haryana?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क)		पानी निम्नलिखित मात्रा में प्राप्त हुआः–
	(1)	अप्रैल 1979 से मार्च तक – 9.08 एम.ए. एफ.।
	(2)	अप्रैल 1980 से फरवरी तक – 8.04 एम. ए.एफ.।
	सिंचाई क्षेत्र	
	1979–80	41.72 लाख एकड़।
	1980–81 (केवल खरीफ)	19.85 लाख एकड़।
(ख)	अप्रैल 1979 से मार्च 1980 तक – 9.08 एम.ए.एफ.।	
	अप्रैल 1980 से फरवरी 1981–8.19 एम.ए.एफ.।	

Plots Allotted in Urban Estate, Panchkula

***2136. Sh. Baldev Tayal**: Will the Minister for Finance be pleased to state –

(a) the total number of plots allotted in each sector in Panchkula so far;

(b) the total number of plots out of those referred to in part (a) above allotted out of turn and out of discretinary quota, separately;

(c) the number of plots allotted to the Judges of the Punjab and Haryana High Court, I.A.S., I.P.S. and H.C.S. Officers alongwith the names and addresses thereof; and

(d) the prices at which the plots referred to in part (c) have been allotted together with their present market price?

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): A statement is laid on the Table of the House.

(a)	Name of Sector	Residential plots allotted	Industrial Plots
	2	1136	402
	4	1776	
	6	552	

	7	1249	
	8	953	
	9	1021	
	10	768	
	12	869	
	15	1185	
	16	1021	
	17	532	
	Total	11062	
(b)	Out of turn		Discretionary quota
	Nil		597

(c) The number of Judges, I.A.S., I.P.S., H.C.S., Officers who have been allotted plots from out of discretionary quota is as under:-

	Judges	I.A.S.	I.P.S.	H.C.S.
	11	6	3	5

Their names and addresses are placed on the Table of the House as Annexure-A.

(a)	Sector	Price at which plots	Market value

		allotted	
	2	Rs. 39.50 P.per Sq. mt.	Does not arise.
	4	Rs. 41.86 P.per Sq. mt.	
	6	Rs. 73.81 P.per Sq. mt.	
	7	Rs. 41.86 P.per Sq. mt.	
	8	Rs. 73.78 P.per Sq. mt.	
	9	Rs. 65.78 P.per Sq. mt.	
	10	Rs. 65.78 P.per Sq. mt.	
	12	Rs. 65.78 P.per Sq. mt.	
	15	Rs. 65.78 P.per Sq. mt.	
	16	Rs. 65.78 P.per Sq. mt.	
	17	Rs. 65.78 P.per Sq. mt.	

ANNEXURE A

Statement showing the lists of allotment of Plots from the Discretionary Quota to Judges, I.A.S., I.P.S., H.C.S., Officers

Sector No.	Total No. of plots allotted		Judges/Name & Address		I.A.S./Name & Address	I.P.S./Name & Address		H.C.S./Name & Address
6.	5		Justice S.S. Dewan, Pb. & Hr. High Courts	1	Sh. B.L. Mittal, Director, Food & Supplies.	Sh. Manmohan Singh, I.G. Police. Hr.	1	Sh. Umed Singh Yadav, SDM, Fatehbad.
							2	Sh. Preet Singh, S.D.M., Jagadhari.
7.	3				Sh. O.P. Bhardwaj, IAS, Director, Census, Hr.		1	Sh. O.PS. Rao, HCS, H.No. 895, Sector-7,

								Chandigarh.
8	11	1	Justice J.M. Tandon, Pb. & Hr. High Court.		Sh. A.D. Malik, D.C. Sonepat	Sh. Lachman Das, DIG, Hissar.	2	Sh. S.D. Sharma, HCS, Secy., HUDA, Chandigarh.
		2	Justice M.M. Panchhi, Pb. & Hr. High Court.					
		3	Justice Surinder Singh, Pb. & Hr. High Court.					
		4	Justice J.V. Gupta, Pb. & Hr. High Court.					

		5	Justice Bhupinder Singh, 27, Sector 4, Chandigarh.					
		6	Justice S.P. Goyal, Pb. & Hr. High Court.					
		7	Justice D.S. Tewatia, Pb. & Hr. High Court.					
		8	Justice, Gokal Chand Mittal, Pb. & Hr. High Court.					
		9	Justice, C.S.					

			Tiwana, Pb. & Hr. High Court.					
10.	3		Justice J.M. Tandon, Pb. & Hr., High Court.		Sh. Tarsem Lal, H.No. 2163, Sector 35-C, Chandigarh	Sh. Y.S. Nakai, SSP. Hissar		
12	2			1	Sh. M. Isa Dass, Joint Secy. to Govt. Hr. Vigilance Deptt.			
	1			2	Sh. K.K. Sharma, Representative-cum-Commissioner to Govt. Hr. Bhawan, New			

					Delhi.			
15	1							Sh. P.P. Sahni, SDM, Hissar.

Upgradation of Schools

***1938. Sh. Gulzar Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the district-wise number of schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High School in the State during the year 1980-81;

(b) the criteria fixed for upgrading the Schools; and

(c) the names of the villages in Rajound constrituency where schools as referred to in part (a) above have been upgraded?

Education Minister (Ch. Des Raj):

(a) District-wise number of schools upgraded during the 1980-81 is as under:-

Name of District	Primary to Middle	Middle to High
1	2	3
Ambala	10	11
Bhiwani	10	3
Faridabad	6	7
Gurgaon	17	8
Hissar	37	14

Jind	10	7
Karnal	10	11
Kurukshetra	10	11
Mohindergarh (Narnaul)	14	9
Rohtak	13	12
Sirsa	6	5
Sonepat	9	12
	152	105

(b) the norms/criteria for upgradation of schools is placed on the Table of the House (Statement).

(c) Nil.

Statement

The norms for upgradation of schools as laid down by the Government are given below:-

For Upgrading from Primary to Middle Standard	Fro Upgradating from Middle to High Standard.

1.	**Building**	
	8 Class Rooms	10 Rooms
	1 Office	1 Office
	1 Store	1 Store
	1 Science Room	1 Science Room
		1 Staff Room,
2.	**Land**	
	3 acre	5 Acre
3.	**Enrolment**	
	150 Students (I to V)	250 Students (Ist – VIII)
4.	Distance from the nearest School	
	3 K.M.	5 K.M.
5.	**Population of Habitations**	
	500 or more	1000 or more

If any Gram Panchayat or Local Population wants to get a school upgraded on contribution basis, they are required to deposit the following amoutn in one instalment in addition to the fulfilment of other conditions:-

1.	Primary to	Rs.

	Middle.	51690/-
2.	Middle to High.	Rs. 69612/-

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

T.A. Drawn by Officers in the Irrigation Department

431. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state the total amoutn of travelling expenses charged by the various officers in the Irrgation Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): सिंचाई विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये यात्रा भत्ता की कुल राशि निम्नलिखित है:—

1.	1979—80	1966835/— रूपये
2.	1980—81 (31.1.81 तक)	2237397/— रूपये

T.A. Drawn by Officers in the Food & Supplies Department

432. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Food and Suplies be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by the various Officers in the Food and Supplies Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री लछमन सिंह):

वर्श 1979–80 तथा 1980–81 में खाद्य व पूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा जो यात्रा भत्ता लिया गया, उसका ब्यौरा निम्नलिखित से है:–

1.	1979–80	रूपये 43840.55/–
2.	1980–81 (28.2.81 तक)	रूपये 61605.20/–

T.A. Drawn by Officers in the Transport Department

433. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Transport be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by the officers in Transport Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): वांछित सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्श	यात्रा भत्ता की राशि
1979–80	84284.95 रूपये
1980–81 (आज तक)	169292.29 रूपये

T.A. Drawn by Officers in the Agriculture Department

434. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by the various officers in the Agriculture Department on acount of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

कृशि मंत्री (श्री शमशेर सिंह):

(क)	1979–80	537265 रूपये
(ख)	1980–81 (अब तक)	664597 रूपये

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अब एक शोक प्रस्ताव पेश करना चाहूंगा क्योंकि कल ही श्री अच्छर सिंह छीना का देहान्त हो गया है।

यह सदन श्री अच्छर सिंह छीना के 11 मार्च, 1981 हो हुए निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

श्री अच्छर सिंह छीना का जन्म 2 अक्तूबर, 1899 को हुआ। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अमृतसर में प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वे 1921 में अमरीका गए। वहां उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री पाकर प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कम्पनी में काम शुरू किया। अमरीका में ही उन्होंने क्रान्तिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और वे डीट्रोयट स्टेट गदर पार्टी के प्रधान रहे। गद्दर पार्टी की गतिविधियों में उनका बहुत योगदान रहा। 1932 में वे सोवियत राजनैतिक प्रणाली का अध्ययन करने मास्को चले गए। 1934 में व पैरिस गए जहां उन्होंने ब्रिटेन के कम्चुनिस्टों से बातचीत की। 1936 में वे भारतवर्श लौटे और अंग्रेजो के शासन ने उन्हें लाहौर के किले में नजरबन्द रखा। इसके पश्चात वे अपने घर में एक साल तक नजरबन्द रहे। श्री छीना उच्च कोटि के क्रान्तिकारी थे।

1941 में जंग के दौरान वे फिर सोवियत यूनियन गए तथा वहां की पार्टी और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच उन्होंने

सम्मर्क रखा। ऐलाईज को सहायता देने का सन्देश उनके द्वारा ही भेजा गया था।

1942 से 1947 तक वे पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष रहे। 1952 के विधान सभा का चुनाव उन्होंने अम्बाला जेल में होते हुए ही लड़ा और वे विजयी रहे। 1957 के चुनाव में भी वे अजनाला चुनाव क्षेत्र से विजयी रहे।

वे उच्च कोटि के क्रान्तिकारी और महान विधायक थे। उनके निधन से हमने उस पीढ़ी का एक और देशभक्त खो दिया है जिस पीढ़ी की कुर्बानियों के बल पर आज हमारा देश आजाद है।

उनके निधन से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है तथा उनके परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जो शोक प्रस्ताव यहां हाउस में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री छीना वास्तव में एक उच्च कोटि के क्रान्तिकारी, स्वतन्त्रता सेनानी और इस देश में भी और विश्व मैं भी एक नये समाज का निर्माण करने वालों में से एक थे। मेरा उनसे निजी सम्बन्ध भी रहा है। 1952 से 1957 तक वे पंजाब असैम्बली के मैम्बर थे, मैं भी उस वक्त पंजाब

असैम्बली का मैम्बर था। मुझे आज भी उनकी बहुत अच्छी तरह से याद है। आज सवेरे जब मैंने यह खबर पढ़ी तो मुझे निजी तौर पर ऐसा हुआ जैसे कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो गई हो। वास्तव में असैम्बली में वे किस तरीके से बोलते थे, किस तरह से वे अपने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते थे क्योंकि हम भी उनसे आगे की पीढ़ी के हैं वह काबिले तारीफ था। उनको जन्म 1899 में हुआ था। उनकी आयु 82 वर्श की होने वाली थी। वैसे तो वे पूरी आयु लेकर इस दुनिया से गये हैं लेकिन फिर भी ऐसे क्रान्तिकारी और ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी महानुभाव का देहान्त हो जाना अफसोसनाक है। उनके देहान्त पर अफसोस होना कुदरती बात है और जैसे मैंने कल भी कहा है और पहले भी कहता रहता हूं। इस किस्म का प्रस्ताव आया है तो मैं उसे फिर दोहराता हूं कि हम अगर वास्तब में ऐसी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उसका सही फायदा तभा हो सकता है जब हम उनके दिखाये हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। मैं विश्वास करता हूं कि जब यह सदन सर्वसम्मति से उनके प्रति श्रदांजली प्रकट करेगा तो इस बात का भी ध्यान करेगा कि उनके नक्शे कदम पर चला जाये। इन शब्दों के साथ में अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजली प्रकट करता हूं।

डा. मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक शोक प्रस्ताव पेश किया है कि श्री अच्छर सिंह छीना

साहब का देहावसान हो गया है। उनके बारे में जैसे बाबू मूल चन्द जैन जी ने बताया वे विधान सभा के 1952 से 1957 तक सदस्य रहे। जब मैं पहली बार चुनकर 1957 में आया तेा वे पंजाब विधान सभा के सदस्य थे ओर असैम्बली में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे। स्पीकर साहब, हमने उनको बड़े करीब से देखा है। विचारों का मतभेद होते हुए भी उनमें एक बात बड़ी सराहनीय थी। उनका जीवन में जिस पीढ़ी से सम्बन्ध था, वह पीढ़ी वास्तव में समाज के कमजोर, निर्धन व शोशित वर्ग के लिये कार्य करती रही है। उस पीढ़ी में रहते हुए उन्होंने इन वर्गो के उत्थान के लिये काम किया। हालांकि उन्होंने शिक्षा विदेशों में ग्रहण की लेकिन उन्होंने देश प्रेम से प्रेरित होकर भारत की शोशित जनता के लिये कुछ करने का प्रयास किया और जीवन भर करते रहे और इस काम को बड़ी सफलतापूर्वक करते भी रहे। इसी कारण से वे 82 वर्श की आयु तक पहुंच पाये। लेकिन आज वे इस संसार में नहीं है। हमें उनके निधन पर बड़ा भारी खेद है। हमारी उनके परिवारजनों के साथ पूरी सहानुभूति है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि के पुश्प अर्पित करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव तायल (हांसी): अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे केवल इतना ही कहना है कि

श्री छीना एक महना क्रान्तिकारी थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता की यानी आजादी की मिशाल जलाई। गरीबों का उत्थान किया और इसके साथ ही साथ गरीबों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मैं यह समझता हूं कि श्री छीना की मेहनत काफी हद तक सफल रही है, भारत का गरीब आज अपने अधिकारों को मांगने लग गया हैं। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इतनी ही बात कहूंगा कि भारत से एक प्रस्तुतः मानव उठ गया है। मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी के सदस्यों की और से इस शोक प्रस्ताव में सम्मिलित होता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Members, I fully associate myself with the deep feelings of grief expressed at the sad demise of this great son of India and an ex-legislator of Punjab and the homage paid by the House in the memory of the departed soul. Although I did not have the privilege of knowing him personally लेकिन जो उनकी बायोग्राफी यहां पर मुख्यमंत्री जी ने बतायी है, उससे हम सब देखते हैं कि उनकी कितनी रिच्च और वैरिड लाईफ थी। The great need of the day is to find a champion of the cause of the poor and the downtrodden and I think, he was one of the greatest champions of the poor and the down-trodden. जो हाउस की फीलिंग्ज है, जो हमने होमेज पे की हैं, वह मैं ब्रीव्ड फेमिली को कन्वे करूंगा लेकिन इस वक्त मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके औनर में हम राईज होकर दो मिन्ट की साइलैन्स आब्जर्व करें।

(इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मेरे दो मोशन आपके विचाराधीन हैं। एक तो घरौंडा में जो 9 तारीख को इन्सीडैंट हुआ है, उसके बारे में है। जहां तक मुझे याद है वहां पर पीसफुल जलसे पर पुलिस की तरफ से बड़ा सीवियर लाठी चार्ज हुआ और बहुत से आदमी जख्मी हुए। वहां पर लाठी चार्ज हुआ और उसके ऊपर झूठे मुकदमें बनाये गये और उनको गिरफतार किया गया। इस बारे में मैंने डिटेल्ड काल अटैन्शन मोशन दिया हुआ है। वह तो आपके विचाराधीन था दूसरा मेरा एक और मोशन था.....

Mr. Speaker: Babu Ji, that is under examination.

श्री मूल चन्द: क्या घरौंडा वाला?

Mr. Speaker: Yes, that Call Attention motion is under examination and I have asked for the comments from the Government.

11.3.1981 को चौ. जगजीत सिंह पोहलू, एम.एल.ए. के निलम्बन सम्बन्धी निर्णय को रद्द करना

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, कल मैंने एक मोशन दी थी। वह मोशन है कि –

The suspension order of Sh. Jagjit Singh Pohloo be withdrawn and he be allowed to participate in the proceedings of the House.

श्री अध्यक्ष: वह अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं हैं।

श्री मूल चन्द जैन: वह तो मैंने हाउस में पढ़ी थी। मैं समझता हूं कि अगर ट्रैजरी बैंचित की तरफ से किसी मैम्बर को सस्पैंड करने के लिए मोशन आ सकती है तो दूसरा मोशन यह भी आ सकता है कि उस आर्डर को विदड्रा किया जाए।

Mr. Speaker: Kindly let me have that motion in writing and I will examine it.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कल आपके आश्वासन पर ही जबानी मूव की गई थी तथा हाउस में पढ़ी गई थी वरना हम तो लिखकर भी दे सकते थे। कल जो मोशन जबानी मूव की गई थी आप उस पर ही डिबेट करवा लीजिए।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, कल जो वाका हुआ था उसके बारे में आपने कहा था कि हाउस में शान्ति हो जाए उसके बाद जब हाउस डेढ़ बजे खत्म होगा तो उसके बाद मैं बातचीत के लिए कुछ मैम्बर साहेबान को बुलाऊंगा। स्पीकर साहब, बातचीत भी हो चुकी है। अब अगर कोई बातचीत हाउस में कर ली जाए तो अच्छी बात है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल जब आप सदन में उपस्थित नहीं थे तो यह नाखुशगवार वाका हो गया था। जब आप हाउस में तशरीफ लाए तो आपने कहा था कि डेढ़ बजे मैं आप सब को बुला लूंगा और आप लोगों की जो दिक्कत है वह दूर कर दी जाएगी। ट्रेजरी बेन्चिज की तरफ से लीडर आफ दि हाउस भी आए थे, उनके सहयोगी भी तशरीफ लाए। बाबू मूल चन्द जैन, मैं और सुशमा जी भी आई थीं। हमने वहां आपके सामने प्रार्थना की थी कि हम भी यह बात पसन्द नहीं करते कि हाउस के डेकोरम के खिलाफ कोई बात की जाए। एक मैम्बर से गलती हो गई और हमने उसको कबूल कर लिया तो वह दरगुजर हो सकती है। हाउस में कई बार ऐसा हो जाता है। उसे माफ कर दीजिए। आपने कहा कि मैं टेप रिकार्ड और सारी प्रोसिडिंग्ज देख लेता हूं कि उनमें क्या लिखा हैं स्पीकर साहब, कल हम बार–बार कहते रहे कि हम डिविजन चाहते हैं, बैलट द्वारा डिविजन चाहते हैं। स्पीकर साहब, मुझे यह कहते हुए संकोच होता है कि उन्होंने आंख उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देखा और वह बात रश थ्रू कर गए। शायद ऐसा लगता है कि वह पहले ही सोच कर आए थे। स्पीकर साहब, अभी सैशन दो–तीन सप्ताह चलना है। अच्छा वातावरण चल रहा है। अगर एक मैम्बर आ जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि जो कुछ कल हुआ है उसको दरगुजर कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कल मैं रिक्वैस्ट की थी कि डेढ़ बजे सैशन ऐडजर्न होने के बाद वेरियस ग्रुप्स के सब लीडर्ज मेरे चैम्बर में आएं और सब ग्रुप्स के लीडर साहेबान ने मेहरबानी की और मेरे पास आए और सबने मिलकर बातचीत की। मेरी जैनुयन फीलिंग यह थी कि अगर हो सके तो किसी कंसैन्सस पर हम पहुंचे। मैंने हाउस में अनाउंस कर दिया था कि जो चेयर का डिसिजन है that is final and nothing whatsoever in the rules leaves and discretion to anybody to overrule that decision. The only thing I could do was to try to arrive at some consensus for an agreement amongst the various group leaders and I am still trying to do that. कोई चीज एकदम तोड़ पर नहीं आती। मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर सबकी सहमति से बात हो जाए। लेकिन इस बारे में दो बातें मैं हाउस के नोटिस में जरूर लाना चाहता हूं। नम्बर 1 यह है कि जो मैम्बर साहेबान सस्पैंड हुए हैं वह एक पार्टी को बिलौंग करते थे और उस पार्टी ने अपनी पार्टी का शायद डिस्पिलिन तथा डैकोरम मेनटेन करने के लिए ऐसा किया हो क्योंकि फैसला हुआ था कि हर पार्टी अपने लेजिस्लेटर्ज द्वारा डैकोरम और हाउस की डिगनिटी को मैनटेन करने में स्पीकर की मदद करेगी और हाउस की शोभा बढ़ाएगी। हो सकता है कि उस पार्टी ने अपने ऐग्रीमैन्ट के अनुसार हाउस का डैकोरम मैनटेन करने के लिए अपनी पार्टी के मैम्बर के खिलाफ ऐक्शन लिया हो। यह बात मेरे माइंड में प्ले करती है। (शोर एवं व्यवधान) When I am speaking, I will request everybody to litstne to me patiently. दूसरी बात जो मेरे माइंड

में आती है वह यह है कि मैं उस वक्त हाउस में नहीं था लेकिन जिस मैम्बर ने हो कोई हाउस के सामने डिस्कर्टसी की या जो कुछ भी किया, उसकी तरफ से इस वक्त तक न कोई अपोलोजी और न ऐक्सप्रैशन आफर रिग्रेट आई है लेकिन उसको छोड़कर तकरीबन सारे दोस्त उनकी तरफ से ऐक्सप्रैशन आफ रिग्रेट कर रहे हैं।

विरोधी पक्ष से आवाजें: आप उनको बुला लीजिए। आप उनको मौका तो दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: वह तो कल 1.30 बजे आपके चैम्बर में हाजिर हुए थे।

Mr. Speaker: Anyway these are two things that have a hearing on the subject and in my analysing of this episode, these two facts did come prominently into my mind. I can only say that I have heard the taperecorder myself and the decision, as I said, of the person sitting in the Chair is always final according to the rules. These is nobody who can revoke that decision. I am still trying to resolve the matter. जो बात मैं कह सकता हूं वह यह है कि तीन चार दिन से हाउस बड़ा पीसफुली चला है। इसके लिए मैं आप सब लोगौं को अपनी तरफ से मुबारिकबाद देता हूं कि इतनी पीसफुली ओर कंस्ट्रक्टिव वे में हाउस की प्रोसिडिंग्ज चली हैं लेकिन इसके साथ ही साथ, I wish to make an appeal to all sections of the Hosue kindly to give me the same cooperation and see that the proceedings of the House are conducted with decorum and in a manner that

brings out some purposeful discussion for the benefit of the State. From my side, I will strive my utmost to see that even for that episode, some sort of get-together takes place. It is the only thing which I can do.

Ch. Ram Lal Wadhwa: Speaker Sahib, I want to make a submission.....

Mr. Speaker: That matter is closed. (Interruptions) No further discussion on it please it would be endless.

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि लोकतान्त्रिक तरीके से .....

श्री अध्यक्ष: आप किस विशय पर बोल रहे हैं?

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जब कोई लोकतान्त्रिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करे और सरकार उन मांगों के बारे में चुप्पी साध ले तो बड़ा खतरनाक रूझान पैदा हो जाता है.....

श्री अध्यक्ष: आपने कुछ लिख कर दिया है?

श्री रण सिंह मान: मैं यह कहना चाहता हूं कि भिवानी में पिछले कुछ दिनों से आन्दोलन चल रहा है.....

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): It is not the subject before the House and nothing about it should be recorded. (Interruptions)

Mr. Speaker: Unless you give me something in writing I cannot allow it.

श्री रण सिंह मान: सारे हरियाणा की * * * *

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, * * * *

स्थगन प्रस्ताव –

लोहारू में कुछ गड़बड़ सम्बन्धी

Mr. Speaker: I had received notices of two adjournment motions on some disturbences in Loharu, one from Sh. Verender Singh and the other from Master Hukam Singh and both of these have been disallowed. I have received another adjournment motion from Sh. Ram Singh Mann on the same subject which I have also disallowed on the same grounds.

There will be sufficient opportunities available to the hon. Members to speak on these issues during the debate on the Governor's Address and during discussion on the Budget etc. There will be sufficient opportunities when points concerning law and order and other allied matters can be raised by the Hon. Members. Therefore, it is the gerneral convention that adjournment motions of this type, unless some urgent and emergent thing has taken place, are not generally allowed during the Budget Session.

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक दो मिनट ही अर्ज करना चाहता हूं। हमारे एक दो साथियों ने दो काल अटेन्शन मोशन्ज दिए और वे आपने डिस–अलाउ कर दिये। संघर्श समिति ने आपको हमारा अगला प्रोग्राम दे दिया है। जिस वक्त ये काल अटेन्शन मोशन दिये गये थे, उस वक्त संघर्श समिति ने अपना 19 तारीख का रास्ता रोको प्रोग्राम नहीं दिया था। इसलिए इन हालात को देखते हुए मेरा जो मोशन था, उसको यहां पर डिसक्शन के लिये अलाउ किया जाए। इससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे भिवानी जिले में सरकार की तरफ से पुलिस बिठा रखी है और खासकर लोहारू का इलाका तो सारा ही पुलिस से घिरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मान साहब, गवर्नर ऐड्रेस पर आपको 10 मिनट देने का फैसला है, मैं आपको 12 मिनट बोलने के लिए दूंगा। उस वक्त आप अपनी सारी बातें कह देना।

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, धन्यवाद।

11.3.1981 को चौ. जगजीत सिंह पोहलू, एम.एल.ए. के निलम्बन सम्बन्धी निर्णय को रद्द करना (पुनरारम्भ)

स्वामी अग्नियेश: स्पीकर साहब, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने टेप रिकार्डर सुना है (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, यह बड़ा ही गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, इस बात का इस तरह से तो कोई अन्त नहीं होगा।

स्वामी अग्नियवेश: अध्यक्ष महोदय आप हमारी बात तो सुनिये (शोर) अध्यक्ष महोदय, कल उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर थे, जिस वक्त चेयर की तरफ से यह फैसला दिया गया था, उस वक्त हम सबने इसके लिये आपत्ति उठायी थी। (शोर) चेयर के फैसला के खिलाफ हमने यहां पर हाउस में डिस्कशन करने का और डिबेट करने का समय मांगा था, डिवीजन मांगी थी लेकिन हम लोगों को समय नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ने जो अपनी रूलिंग दी है, वह टेप रिकार्डर सुनने के बाद दी है?

Mr. Speaker: The decision of the person sitting in the Chair is final. I have given my ruling.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, फाइनल होगा सिर माथे पर लेकिन आप हमें एक मिनट तो बोलने के लिए दीजिये। रूलज तो देख लीजिऐ कया कहते हैं।

Mr. Speaker: The hon. Member can come and see me in my Chamber, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, मैं सिर्फ आपका एक मिनट ही लेना चाहती हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा है कि चेयर का जो फैसला है, वह फाइनल है फिर भी मेरे माइंड में मामला अभी ओपन है और मैं ऐग्जामिन कर रहा हूं। But if you want to further complicate the matter, you may keep on doing it. I would request you only अगर किसी रूल को मैंने ओवर लुक कर दिया हो तो आप मुझे बताएं। However, as started earlier in my mind the matter is still open and I will examine from a sympathetic point of view and I would request you to leave this matter here. If you want to bring some thing further to my notice, kindly come to my Chamber. I can make mistakes and it is only humance to make mistakes. If you have any thing to point out to me, please see me in my Chamber. This is my only request to you all.

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट ही बोलना चाहूंगी। * * * *

श्री अध्यक्ष: उस सबजेक्ट पर नहीं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अभी अभी दो आबजर्वेशनज हाउस में की गयीं। हम आपके मुंह से निकले हुए हर शब्द का सम्मान करते हैं और मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहती हूं। आपने कहा है कि चेयरमै का जो डिसीजन है, वह फाइनल है, मैं उसका पूरा सम्मान करती हूं। उस फाइनल

डिसीजन होने के बाद आपके पास बाबू मूल चन्द जैन जी ने एक मोशन मूव किया था जिसको आपने पोस्टपोन करवा दिया। मेरी गुजारिश है कि क्या आनरेबल मैम्बर्ज को दूसरा मोशन, जो कल बाबू जी ने मूव किया था, मूव करने का अधिकार नहीं है? कल यहां पर यह कहा गया था कि उन हालात में जबकि हीट जनरेट हुई हो तो इस पर विचार करना ठीक नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आज जबकि 12–14 घण्टे गुजर गये हैं और टेम्पर भी कूल हो चुके हैं तो मेरी गुजारिश है कि उस मोशन को यहां पर मूव करने की इजाजत दे दी जानी चाहिये।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ऐसा है जैसा कि आपने फरमाया कि उस मैम्बर की तरफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं है यानि वे सारे फैसले को कबूल करते हैं। अगर एक आदमी को फांसी की सजा हो जाए तो उसकी राश्ट्रपति के पास रहम की अपील भी हो सकती है। आप भी इसको एक रहम की अपील कंसिडर कर लीजिएगा। यह एक छोटी सी बात है, इसके ऊपर आप फिर विचार करियेगा।

श्री अध्यक्ष: अगर आप साहेबान उस मोशन को मूव करना चाहते हैं तो आप नोटिस दे दीजियेगा, मैं ऐग्जामिन कर लूंगा।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, वह मोह तो मैंने कल मूव कर दिया था।

Mr. Speaker: You read it, I agree. But the permission of the Chair was not given. If you want to move it, please give me notice therefor. I will certainly welcome and examine it.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, वह तो मूव हो चुका है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपकी परमिशन के साथ ही यह मोशन पढ़ी गयी थी।

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो नोटिस दे दीजियेगा। मैं ऐग्जामिन कर लूंगा।

11.00 बजे

Sh. Verender Singh: You may kindly check up the record. It was moved with your permission in the House.

Mr. Speaker: It was read out. It was not technically moved. (Interruption) If you are asking technicaly, firstly the hon. Member reads the motion which is then stated by the Chair. Only then the motion is treated as technically moved.

Sh. Verender Singh: You permitted it, Sir. (Interruptions)

Mr. Speaker: It was not technically moved. But as earlier stated, the matter is still open in my mind. मैं इतना ज्यादा रूल्ज का कीड़ा भी नहीं बनना चाहता हूं। अगर आप

बनाएंगे तो I will have to follow the rules strictly. लेकिन मैंने कहा है कि आप मुझे इसका नोटिस दे दीजिये, मैं इसको ऐग्जामिन कर दूंगा।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, अपोजीशन के सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि जब स्पीकर साहब ने यह फरमा दिया है कि वे अब भी इस बारे में कोशिश कर रहे हैं तो –

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब इतना ही नहीं मैंने यह भी कहा कि यह मैटर अभी भी मेरे माइंड में ओपन है।

चौ. रिजक राम: मेरे ख्याल में इस बात को हवा देने के लिए अपोजीशन के साथी पोहलू साहब का ज्यादा ही साथ दे रहे हैं। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: वे आपकी वजह से ही निकले हैं और आपकी वजह से ही बाहर बैठे हैं। (शोर)

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, जब आपने यह फरमा दिया कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और मामला अभी आपके दिल में ओपन है तो मेरी प्रार्थना यह है कि इस मैटर को क्लोज किया जाए। वे चाहे किसी की वजह से निकले हों और मैं तो खुद महसूस करता हूं कि उनका ज्यादा कसूर नहीं था (शोर) लेकिन सूफी साहब ज्यादा जोश में आकर ऐसा कर देते हैं। मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहब जरूर इस पर सोचेंगे। (शोर)

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

डा. मंगल सैन: * * * *

श्री अध्यक्ष: जो कुछ मेरी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

Mr. Speaker: Hon. Members, my ruling is that there will be no further discussion on the episode of the suspension of Ch. Jagjit Singh Pohloo in the House at present.

आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे चौ. वीरेन्द्र सिंह, एम.एल.ए. की ओर से श्री गुगन राम, विलेज गढ़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार की सिविल लौकअप हांसी में डैथ होने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस मिला है। मैं इसे मन्जूर करता हूं।

वाक आउट

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने कल कहा था कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर विचार करेंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मिस कोट न करें। मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा।

विपक्ष की ओर से आवाजें: तो हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते है।

(इस समय श्री बीरेन्द्र सिंह को छोड़ कर शेश सभी अपोजीशन के सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अपना काल अटैन्शन मोशन पढ़ना है इसलिये मेरा वाक आउट वैसे ही मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मान लिया। (हंसी)

वित्त मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): स्पीकर साहब, अगर ये भी वाक आउट में शामिल हैं तो ये मोशन कैसे पढ़ सकते हैं। मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: इस पर मेरी रूलिंग यह है कि what is physically visible is visible. मैं तो अपनी तरफ से जो वाक आउट कर गए हैं उनसे भी रिक्वैस्ट करूंगा कि वे वापिस आ जाएं। ये तो यहां हैं इन्होंने वाक आउट नहीं किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपने मान लिया था कि मैं वाक कर गया हूं। (शोर)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

गांव गढ़ी, तहसील हांसी के निवासी श्री गुगन सुपुत्र झाबर की गिरफतारी तथा बाद में सिविल हवालात हांसी में उसकी मृत्यु सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र सिंह जी, आपके काल अटैन्शन मोशन को मैंने ऐडमिट कर लिया हैं। आप उसे पढ़ दें। उसके बाद मंत्री महोदय अपनी स्टेटमैंट दे सकते हैं।

Sh. Verender Singh: Sir, I draw the attention of the House towards a matter of urgent public importance, namely, "one Sh. Gugan Ram of village Garhi Tehsil Hansi, Distt. Hissar was arested on February, 17, 1981 under section 69 of the land revenue act for non payment of a loan of Rs. 3038 which he had taken from the central Bank of India for installing a Gobar Gas plant in the year 1978. After his arrest he was put in Civil lock up at Hansi. On the morning of 4th March the above said Sh. Gugan Ram was found dead in his cell where he had been locked up. It is a matter of record that the deceased was not being supplied with meals since three days prior to the fateful day while in custody. The Government is duty bound to look after the well being of the detainee. The news of the death of Sh. Gugan Ram spread in the whole of Hansi Sub-Division within a spur of moment. The Govt. took no time in concocting a story of suicide. His body was taken to Civil Hospital, Hisar, Postmortem was conducted and report of suicide was manouvered by the Govt. Some three or four persons who were locked up in adjacent cells say that there was no cause for the deceased to commit suicide. The rather assert that Gugan Ram was ill treated by the administration.

The heirs of the deceased also assert that Gugan Ram has been murdered. The people of the sub-division felt quite pained and resented the manner and the circumstances under which he was found dead. On the 5th March about thirty thousand people of the area gathered at Hansi and made a demand of judicial inquiry in the whole episode and reasonable compensation to the family of the deceased. All the political parties got worked up and assured the people at large to help the people in meeting their demands. This sensational death of the poor peasant in dubious circumstances has created a great resentment amongst the minds of the people at large. People of the areas are feeling very much agitated and concerned at this sad happening nothing less than a Judicial Inquiry, will satisfy the people. The Government is trying to hush up the matter and has not come forward to meet the demand of the people. This action of the Government not ordering a Judicial Inquiry and probing the matter to the satisfaction of people at large constitutes a matter of urgent Public importance and requires immediate attention of this august House."

वक्तव्य–

राजस्व मंत्री द्वारा गांव गढ़ी, तहसील हांसी के निवासी श्री गुगन सुपुत्र झाबर की गिरफ्तारी तथा बाद में सिविल हवालात हांसी से उसकी मृत्यु सम्बन्धी

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): अध्यक्ष महोदय, केस के तथ्य इस प्रकार हैं, कि श्री गुगन पुत्र झाबर, निवासी ग्राम गढ़ी तहसील हांसी, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, हांसी द्वारा गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए दिए गए ऋण 3028.10 (तथा ब्याज) का बाकीदार था। दिनांक 22.10.79 को कलैक्टर जिला हिसार ने ऋण की देय राशि को भू–राजस्व बकाया जात घोशित कर दिया। नियमों के अनुसार कई एक नोटिस जारी करने के बावजूद, मृतक बाकीदार ने राशि जमा नहीं करवाई। इन हालत में, सामान्य कार्यविधि के अनुसार तहसीलदार हांसी ने दिनांक 16.2.81 को मृतक के विरूद्ध पंजाब भू–राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 69 के अन्तर्गत गिरफ्तारी कर लिया गया। दिनांक 17.2.81 से उसे राजस्व हवालात में रखा गया और दिनांक 25.2.81 को तहसील हांसी ने केस उपमण्डल अधिकारी (ना) हांसी के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसने पंजाब भू–राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक बाकीदार को 10 दिन की और अवधि के लिए बन्दी रखने के आदेश दिए।

मार्च 3/4 की दरमियानी रात को राजस्व हवालात हांसी में श्री गुगन समेत 7 बन्दी थे। उस रात को सारे बन्दी 12/12.30 बजे तक जाग रहे थे। 4 मार्च को लगभग 5 बजे प्रातः एक बन्दी श्री जवाहरा उठा और शौचालय गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसा कि शौचालय के कोने मैं कोई भूत खड़ा था। वह डरा

हुआ वापिस आया और बाकी बन्दियों को इस बारे बताया। तब बन्दियों ने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार ने दूसरे बन्दियों के साथ राजस्व हवालात को खोला और श्री गुगन को शौचालय में लटके हुए देखा। यह सूचना मिलने पर, तहसीलदार ने तुरन्त ही पुलिस स्टेशन हांसी को सूचित किया था जिलाधीश और वरिश्ट पुलिस अधीक्षक को बेतार संदेश भेजे। चिकित्सा अधिकारी और फोटोग्राफर भी बुलाए गए थे।

श्री एच.सी. दिसोदिया, अतिरिक्त जिलाधीश हिसार द्वारा मौके पर विस्तृत जांच की गई। उन्होंने सभी सम्बन्धित गवाहों के बयान लिए और अपनी रिपोर्ट दिनांक 5.3.81 में इस निश्कर्श पर पहुंचे कि मृतक बाकीदार को बन्दी रखने की कार्यवाही पूर्ण रूप से कानूनी थी और उसकी मृत्यु आत्महत्या अर्थात स्वयं ही लटकने से हुई। यह रिपोर्ट चिकित्सा तथा अन्य प्रमाणों के साथ भी मेल खाती है।

यह सुझाव गलत है कि आत्महत्या की कहानी गढ़ी गई है। गवाहों के बयान तथा डाक्टर द्वारा किए गए चिकित्सा निरीक्षण साफ तौर पर बताने हैं कि यह एक आत्महत्या का केस था। हवालात में बन्द व्यक्तियों में से किसी ने भी जांच अधिकारी के सामने ऐसा नहीं कहा कि श्री गुगन मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था या उसकी हत्या की गई थी।

स्थिति को कुछेक हितबद्ध पक्ष के व्यक्तियों द्वारा उछाला जा रहा है जो कि इसमें दुश्कार्य का गलत तौर पर शक कर रहे हैं।

अतिरिक्त जिलाधीश की जांच रिपोर्ट से सरकार पूर्णतया सन्तुश्ट है और उन्हें विश्वास है कि यह एक आत्महत्या का केस है। इस रिपोर्ट के दृश्टिगत न्यायायिक जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि श्री गुगन राम के साथ जो दूसरे डिटेनीज जेल में बन्द थे, उसकी मौत के बारे में उन सबके बयान लिए थे?

चौ. शेर सिंह: लिए थे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उसके जो हेयर्ज हैं, कया इन्क्वायरी आफिसर ने उनके भी ब्यान किए थे।

चौ. शेर सिंह: उनके ब्यान नहीं लिए गए।

गैर–सरकारी संकल्प–

पिछड़ी श्रेणियों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा सुधारने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब श्री जय नारायण वर्मा की ओर से 13 मार्च, 1980 को मूव किए गए रैजोल्यूशन पर डिस्कशन रिज्यूम होगी। पिछली बार दिनांक 10 जुलाई, 1980 को श्री मांगे राम गुप्ता जी अपनी स्पीच दे रहे थे, वे कृपया अपनी स्पीच जारी रखें।

सत्ताधारी पक्ष से आवाजें: स्पीकर साहब, श्री जय नारायण वर्मा हाउस में हाजिर नहीं है। (व्यवधान) इस पर आगे बहस नहीं हो सकती।

श्री वीरेन्द्र सिंह: वे अपना रैजोल्यूशन मूव कर चुके हैं तथा इस वक्त उनका हाजिर होना जरूरी नहीं है और इस पर बहस चल सकती है।

Sh. Jai Narain Verma: Sir, I had moved the resolution and I am also very much present now.

Mr. Speaker: I am sorry, there is no provision to drop this motion either the hon. Members will speak or it will have to be put to the vote of the House.

Sh. Mange Ram Gupta is not present. Now Sh. Lehri Singh Mehra may speak.

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर–अनुसूचित जाति): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जय नारायण वर्मा, एम.एल.ए. ने 13.9.1980 को जो प्रस्ताव हाउस में रखा था, उसके बारे में मैं आदरणीय माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले

लें और इस प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए ही मैं सदन में कुछ कहना चाहता हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) श्री वर्मा जी ने हाउस में डिस्कशन के लिए जो प्रस्ताव रखा है, उसमें पहली डिमांड यह है कि हरियणा सेवा आयोग में पिछड़ी जातियों के लिए नुमायंदगी होनी चाहिए। इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में गरीब तबके के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए नुमायंदगी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं अपने अपोजीशन भाइयों को, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पिछड़ी जातियों और हरिजनों के हिमायती बनते हैं, बताना चाहता हूं कि इंडिया की हिस्टरी में केवल हरियाणा प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है ओर वह भी चौ. भजन लाल का शासनकाल है, जिसमें बैकवर्ड क्लासिज के लिए सर्विसिज में 10 परसैट की रिजर्वेशन की हुई है। सारे भारतवर्श में इस प्रकार की मिसाल नहीं है जो चौ. भजन लाल की सरकार ने कायम की है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं जिन्होने सारे हालात का जायजा लेकर 10 परसैंट रिजर्वेशन की है। इससे पहले बैकवर्ड क्सासिज के लिए सर्विसिज में रिजर्वेशन केवल 2 सरसैंट थी, बाद में 5 परसैंट तक की गई और इसके बाद जब सोवा गया कि 5 परसैंट भी कम है तो चौ. भजन लाल की सरकार ने 10 परसैंट रिजर्वेशन करके सारे हिन्दुस्तान, में एक मिसाल कायम करके दिखा दी। उपाध्यक्ष महोदय दूसरा प्वायंट प्रस्ताव का यह है कि पिछड़ी श्रेणियों के सम्बन्ध में जो 3600 रूपये वार्शिक आय की ऐफिडैविट लिया जाता है, वह न लिया जाए। इसका मतलब यह है कि 3600 रूपये से

ज्यादा अगर सालाना आमदनी होगी तो आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, यह शर्त नहीं होनी चाहिए। यह जायज बात है क्योंकि 3600 रूपये वार्शिक आय तो मैक्सिमम लोगों की होगी और 3600 रूपये यानी 300 रूपये महीना की आमदनी से एक गरीब परिवार गुजारा नहीं कर सकता। जिस परिवार के आठ–दस सदस्य हों, उसका गुजारा 3600 रू. से नहीं हो सकता। इसलिऐ मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वास्तव में यह लिमिट जो वीकर सैक्शन के लिए, बैकवर्ड क्लासिज के लिए, गरीब हरिजनों के लिए लगा रखी है, यह बिल्कुल उठा दी जानी चाहिए। आज एक गरीब आदमी जो दो रोटी कमा कर नही खा सकता उस पर इस प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी टैक्निकल ट्रेडज हैं, इंजीनियरिंग ट्रेडर्ज हैं, ककर्शियल ट्रेडज हैं, पौलिटैक्निकल और आई.टी.आई. हैं, इन सब मैं ऐडमीशन लेने के लिए बैकवर्ड क्लासिज के लिए 15 परसैंट आरक्षण होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं केवल बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की ही बात नहीं करता बल्कि हरियाणा के अन्दर जो भी गरीब तबका है, जिसको एक दिन का खाना मिलने के बाद दूसरे दिन के भोजन का फिक्र सताता रहता है और जिसे इसी फिक्र में रात को नींद नहीं आती, उसकी बात भी कर रहा हूं। ऐसी फैमिलीज केवल बैकवर्ड क्लासिज में ही नहीं हैं, केवल हरिजनों में ही नहीं हैं बल्कि हरियाणा में रहने वाले हर कास्ट के लोगों में हैं, ब्राहमणों में भी इस तरह की फैमिलिज हैं, जाटों में भी इस तरह

की फैमिलिज हैं और दूसी कास्टम के लोगौं में भी इस तरह के परिवार हैं जिनके पास खाने को दाना नहीं और रहने के लिए मकान नहीं। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि वह इस बारे में कोई आवश्यक पग उठाए।

16 मार्च, 1981 को प्रश्नोत्तर काल निलम्बित करना

Mr. Depty Speaker: A request has been received from the Leader of the House to dispense with the question hour on the 16th March, 1981. Have I sense of the House to do so?

Voices: Yes.

Mr. Deputy Speaker: So there will be no question hour for the meeting of the Sabha to be held on the 16th March, 1981.

श्री भले राम: डिप्टी स्पीकर साहब, क्वैश्चन अवर तो जरूर होना चाहिए, भले ही ये सैशन का समय दो दिन और बढ़ ले।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): उस दिन बजट पेश होना है। इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे भी अब तो सैन्स आफ दि हाउस ली जा चुकी है।

श्री भले राम: उपाध्यक्ष महोदय, 16 तारीख वाले क्वैश्चन्ज फिर कब टेक अप होंगे।

चौ. भजन लाल: अगले दिन टेक अप कर लेंगे। 16 वाले 17 को और 17 वाले 18 तारीख को टेक अप हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी दिन का हो जाएगा।

गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री लहरी सिंह मेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, भाई जय नारायण वर्मा ने जो प्रस्ताव हाउस में रखा है मैं उसके बारे में आगे बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा आज भारतवर्श में वैसे तो डिवैल्पमैंट के लिहाज से न. एक प्रान्त है और इसका श्रेय अपनी सरकार को जाता है लेकिन मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग, चाहे वे बैकवर्ड क्लासिज से ताल्लुक रखते है, चाहे हरिजन जाति से ताल्लुक रखते हैं, चाहे अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते हैं ओर चाहे जरनल कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी हालत सुधारने के लिए हमारी सरकार अवश्य कोई कड़े पग उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में एक प्वायंट यह रखा गया है हरियाणा हरिजन कल्याणा निगम की तरह एक बैकवर्ड क्लासिज डिवैल्पमैंट फाइनैन्शल कार्पोरेशन भी बनाया जाए लेकिन मैं अपने अपोजिशन के भाइयों को यह बताया चाहता हूं कि वे भी दो अढ़ाई साल सरकार में रहे लेकिन वे इस तरह का कोई निगम

नहीं बना सके। यह चौ. भजन लाल जी की सरकार है जिसने बैकवर्ड क्लासिज की वैल्फेयर के लिए दो करोड़ रूपये की पूंजी सबसे पहले दी। यह बहुत तारीफ की बात है। मैं अपनी सरकार को, जिसने बैकवर्ड क्लासिज की मांग को ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा स्टैप उठाया है, बधाई देता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजिशन के जो भाई सरकार पर फजूल के लांछन लगाने पर तुले हुए हैं और अपने आप गरीबों का हिमायती बनने का दावा करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि वे हालांकि दो साल तक राज करके गए है लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, इनकी सरकार ने इनके बारे में सोचा तक नहीं। हमने कितनी बार यहां कहा कि हरिजनों की रिजर्वेशन पूरी हनहीं है और बैकवर्ड क्लासिज के साथ अत्याचार हो रहा है लेकिन इनके मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल ने यह कह कर हरिजन विधायकों को धमकाया था कि क्या तुमने हरिजनों का ठेका लिया हुआ है? आज ये भाई इस बात की चर्चा करते हैं कि चौ. देवी लाल ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया। यह बात बिल्कुल गलत है। आज की सरकार ने हरिजनों ओर बैकवर्ड क्लासिज के लिए जो कुछ किया है उतना इनके लिए हरियाणा की हिस्टरी में कभी नहीं हुआ है। इसलिए इस बात के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इनको तो इस सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि इसने बहुत से अच्छे काम किए हैं, कर रही है और आयंदा भी करेगी। इस सरकार ने यह फैसला किया है कि जो भी चंडीगढ़ से सरकार का

हुक्म होगा उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोयद प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उसी दिन मजदूरों की मजदूरी 6 रूपये से बढ़ाकर 8 रूपये कर दी गई थीं इसी तरह से इस सरकार ने उन स्वीपर भाईयों की तंख्वाह में 50 रूपये महीने की बढ़ौतरी की जो हजारों सालों से सताये हुए हैं। बैकवर्ड क्लासिज निगम भी इसी सरकार ने स्थापित किया है यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों की रिजर्वेशन दो प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत भी की है। ये सब बातें प्रशंसा की हैं लेकिन मैं अपनी सरकार को एक सुझाव भी देना चाहता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि सरकार ने रिजर्वेशन के लिए फैसला तो बहुत अच्छा किया है लेनिक दु:ख की बात यह है कि किसी भी महकमें में यह रिजर्वेशन पूरी नहीं है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, यह भाई आज तो इस तरह से बातें कर रहे हैं लेकिन चौ. देवी लाल जी के राज में हमारा हाल यह था कि –

तू है शिकारी मैं हूं पंछी

पर तो मेरे फड़कने दे

यदि पर भी फड़कने नहीं देता

तो गरकने (मरने) तो दे।

डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय हमारा यह हाल था। कोई बोल नहीं सकता था लेकिन आज हम खुले दिन से मन चाही बात कह सकते हैं। चाहे यह हमारी सरकार है लेकिन जो कभी हमें नजर आती है उसे हम खुले दिल से कहते हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाशण यहां दिया उसमें यह बताया गया कि स्पैशल कंपोनैन्ट प्रोग्राम के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दो जाएंगी। यहां इस समय 321000 परिवारों ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उनके लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि आने वाले पांच साल में कोई परिवार गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। लेकिन इस बारे में भी मैं अपनी सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में आज की जनगणना के मुताबिक चूंकि यह फिगर 321000 की बजाए 5 लाख की हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार को पांच लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए न की केवल 321000 परिवारों को।

मैं इसी के साथ–साथ जो हमारी कमियां है उनको भी बताना चाहता हूं। हाउस के सामने जो बैकवर्ड क्लासिज के लिए रैजोल्यूशन आया है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। अपोजीशन के भाई जो हर बात में यहां हाउस में और बाहर भी बावेला मचाते है कि यह मौजूदा सरकार हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनको बताना चाहता हूं

कि सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है। इन लोगों से सरकार द्वारा सही काम जो किये जा रहे हैं वे देखे नहीं जा रहे। इन लोगों की कुर्सी छिन गई है इसलिए इनका दिमाग सैन्टर में नहीं है इन लोगों का दिमाग बौखला गया है इसलिए मैं यह बातें कह रहा हूं।

श्री जय नारायण वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, ये बैक्वर्ड क्लासिज की वैलफेयर के लिए बोल रहे हैं या किसी दूसरी चीजों के बारे में बोल रहे हैं? (शोर)

श्री लहरी सिंह मेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, कुर्सी के काटे का कोई इलाज नहीं है। कुत्ते के काटे हुए का इलाज है लेकिन कुर्सी के काटे का कोई इलाज नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब आज की सरकार ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। हरियाणा में कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जिसमें 31 मार्च तक सड़क नहीं जायेगी। मैं चैलेन्ज करता हूं कि 31 मार्च तक कोई गांव हरियाणा में बिना सड़क के नहीं होगा।

श्री जय नारायण वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, ये बैकवर्ड क्लासिज के रैजोल्यूशन पर बोलना चाहते हैं या लिंक रोड पर बोलना चाहते हैं।

श्री लहरी सिंह मेहरा: सरकार की तरफ से जो डिवैल्पमैंट के कार्य किये गये हैं वे हर वर्ग के लिए हुए हैं। सारे वर्गों को उनसे फायदा पहुंचेगा। चाहे कोई जाट है, हरिजन है,

बैकवर्ड क्लास का है सभी को फायदा पहुंचेगा। हमारी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सन् 1981 तक हमारे हरियाणा में कोई गांव नहीं रहेगा जहां पर गरीबों की गलियों में लाईट नहीं पहुंचेगी। यह कोई छोटा फैसला नहीं है।

श्री जय नारायण वर्मा: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य से बड़े आदरपूर्वक ढंग से पूछना चाहता हूं और साथ ही आपकी रूलिंग भी चाहता हूं कि क्या वे गवर्नर ऐड्रेस या बजट की डिस्कशन पर बोल रहे हैं या रैजोल्यूशन पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य रैजोल्यूशन पर ही बोलें।

श्री लहरी सिंह मेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, आप इस प्रस्ताव को पढ़ कर देख लें, इन्होंने जो इसमें प्ववायंटस रखें हैं उन्हीं पर मैं बोल रहा हूं। इन्होंने काफी बातें इस रैजोल्यूशन में ऐसी रखी है जिनके बारे में सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है। मेरे भाई को कई बातों का कुछ पता ही नहीं है। मैं अगर फिर उन बातों पर बोलूंगा तेा वे कहेंगे कि मैं बजट पर बोल रहा हूं। उनको यह भी मालूम नहीं है कि अभी तक हाउस में बजट पेश भी नहीं हुआ है। ये पढ़े–लिखे आदमी हैं इनको पता होना चाहिए कि बजट तो 16.3.81 को पेश होगा।

जहां तक बैकवर्ड क्लासिज का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैकवर्ड क्लासिज को जितनी सहूलियतें मिलनी

चाहिए थीं उतनी नही मिली है। उन सहूलियतों के बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि चाहे वह मेरा रादौर का हल्का है, चाहे जयनारायण वर्मा जी का हल्का है चाहे चीफ मिनिस्टर साहब का आदमपुर का हल्का है, हर हल्के में पिछड़ी हुए और विमुक्त जातियों के लिए सरकार को अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरे मुल्कों में अमेरिका, जापान, चाइना और रूस में सभी लोग आर्थिक दृश्टि से बराबर है। उसी प्रकार से यहां भी होने चाहिए।

डिप्टी स्पीकर सहाब, आरक्षण के मामले में जो सर्टिफिकेट इन्कम का मांगा जाता है वह खत्म किया जाना चाहिए। जो आदमी गरीब हैं उनको सारा गांव जानता है। किसी भी आदमी का 3600 रूपये साल की आमदनी से आज के हालात में गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए जो सर्टिफिकेट बैकवर्ड क्लासिज या हरिजनों से मांगा जाता है यह बन्द होना चाहिए। उनको बिना किसी बात का सबूत दिये हुए फैसिलिटीज मिलनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए जो दस परसैन्ट की रिजर्वेशन की है इसको बढ़ाकर 15 परसैन्ट करना चाहिए। दूसरे बैकवर्ड क्लासिज कार्पोरेशन के लिए जो दो करोड़ रूपया रखा है यह बहुत थोड़ा है। इसको बढ़ा कर पांच करोड़ करना चाहिए ताकि ज्यादा से

ज्यादा पिछड़े हुए भाइयों को लाभ पहुंच सके और वे गरीबी की लाईन से ऊपर उठ सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में हरिजन कल्याण निगम है। उसकी कुल पूंजी 5 करोड़ है। आप सभी साथी जानते हैं और किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि हरियाणा के अन्दर पांच लाख हरिजन परिवार हैं इन पांच लाख परिवारों के लिए पांच करोड़ रूपये की पूंजी बहुत कम है। इस पूंजी को बढ़ा कर 15 करोड़ करना चाहिए ताकि गरीब परिवारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिल सकें अगर उस कार्पोरेशन को अधिक पैसा दिया जायेगा तो गरीब परिवार भी दूसरे लोगों के बराबर आ सकते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी आपके जरिए हाउस को बताना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार में कितने ही ऐसे डिपार्टमैंटस हैं जिनमें अभी तक रिजर्वेशन पूरी नहीं हुई है चाहे वह रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासिज के लिए है या चाहे हरिजनों के लिए है। बैकवर्ड क्लासिज की दस परसैन्ट रिजर्वेशन तो बिल्कुल ही पूरी नहीं की गई है। तो मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि बैकवर्ड क्लासिज के 10 परसैन्ट के आरक्षण को पूरा करने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी कड़े कदम उठाये। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है उनकी भी रिजर्वेशन किसी भी विभाग में पूरी नहीं है। (शोर) यदि आज कोई भाई यह समझते हैं कि श्रेणी चार में हरिजनों की रिजर्वेशन पूरी है तो ऐसा कहना उनके लिए शोभा नहीं देता। श्रेणी चार के अन्दर हमारे बहुत से बुजुर्ग

आदमी भी काम करते है। क्लास चार के अन्दर हमारी माताएं–बहनें कूड़ा–करकट उठाती हैं। (शोर) यदि अपोजीशन के भाईयों को मेरी बातों का कुछ ऐतराज है तो उनको भी कूड़ा करकट और टट्टी उठानी चाहिए और क्लास फोर में अपना पूरा हिस्सा लेना चाहिए। (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किसी भी डिपार्टमैंट में रिजर्वेशन पूरी नहीं है इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हरियाणा गवर्नमैंट की एक सरकारी प्रैस है। मैं आपको यह लिखकर भी देने के लिए तैयार हूं कि प्रैस में जितने भी मैनेजर या ऐसिस्टेंट मैनेजर हैं उनमें कोई भी बैकवर्ड क्लास या हरिजन नहीं है। जितना भी वहां पर कलैरिकल स्टाफ है उस में भी रिजर्वेशन पूरी नहीं है डिप्टी स्पीकर साहब, इससे बड़ी अन्याय की बात नहीं हो सकती। (शोर) मैं अपने अपोजीशन के भाईयों को बताना चाहूंगा कि यहां पर दो साल पहले जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिए कुछ नहीं किया। जब चौ. देवी लाल के समय हम इनके बारे में आवाज उठाते थे तो हमें कहा जाता था कि क्या तुम ही ने सारे हरिजनों का ठेका ले रखा है। उस समय हमें बोलने तक नहीं दिया जाता था। आज की सरकार चौ. भजन लाल जी की सरकार है। यह हमारी सरकासर है हम अपनी सरकार के बारे में जो कमियां हैं उनके बारे में कह सकते हैं। (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, चौ. देवी लाल के समय में इनकी जुबान दबी हुई थी। उनके सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती थी। * * * * (शोर)

श्री जय नारायण वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ऐक्सपंज होनी चाहिए।

श्री भले राम: उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: ये शब्द ऐक्सपंज कर दिए जायें।

श्री लहरी सिंह मेहरा: उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा था कि जब इनके समय में .....(शोर)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार जो काम करने जा रही है आप उसके बारे में जिक्र करें।

श्री लहरी सिंह मेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं हाउस को बता देना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार थी तो उसने हरिजनों को और बैकवर्ड क्लासिज को जमीन देने की कोशिश नहीं की। जब से चौ. भजन लाल जी की सरकार आई है यह फैसला लिया गया है कि देहात के अन्दर जितनी भी सरप्लस जमीन निकलेगी वह सारी की सारी हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों में बांट दी जायेगी। इस सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उनको भी जमीन दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय आप भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जिन आदमियों के पास रहेन के लिए जगह नहीं है सरकार उनको प्लाट दे रही है।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस डेढ़ बजे तक चलना है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि गवर्नर ऐड्रैस पर अभी काफी मैम्बरों ने बोलना है। इसलिए समय का ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष: चौ. लहरी सिंह जी आप जल्दी खत्म करने की कोशिश करें।

श्री लहरी सिंह मेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को और हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन को मुबारिकबाद देता हूं। (शोर)

श्री भले राम: 5 प्रतिशत पावर्ज वापस ले ली इसलिए मुबारिकबाद देना चाहते हो। (शोर)

श्री लहरी सिंह मेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पावर्ज छीनी नहीं गई थी चौ. ईश्वर सिंह चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड ने अपनी मर्जी से स्वयं वापिस करके एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। जब इनकी सरकार थी तो ये लोग तो हमारे पीछे कुर्सी लिऐ फिरते रहे (शोर) लेकिन हमने इनकी कुर्सी लैने से इन्कार कर दिया क्योंकि इनके दिल में बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। (शोर) ये जो चेयरमैन की बात कर रहे हैं (शोर).....

श्री जय नारायण वर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन का इशू

नहीं बल्कि यह बैकवर्ड क्लासिज की स्पैसिफिक डिमान्ड का इशू है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए अपने अपोजीशन के भाईयों को बताना चाहूंगा कि जब से चौ. ईश्वर सिंह हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तब से लेकर आज तक का आप रिकार्ड उठा कर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्लाट बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनों को दिए गए हैं इनकी यह पूरी कोशिश हो रही है कि जिनको मकान अलाट करने बाकी हैं (शोर)

श्री भले राम: आप हमारी बात तो सुन लें। (शोर)

श्री लहरी सिंह मेहरा: ये जो शोर मचा रहे हैं कि चेयरमैन की 5 प्रतिशत पावर्ज कम कर दी गई थी ऐसा नहीं है। उन्होंने अपन पावर्ज कम करने के लिए खुद कहा था। मेरे अपोजीशन के साथी भाई श्री जय नारायण वर्मा जी यहां पर बैठे हैं ये कह रहे हैं कि पावर्ज कम कर दी। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि ये भी चेयरमैन थे जिस समय इनको चेयरमैन के पद से हटाया गया तो इन्हें अपनी चेयरमैनी कायम रखने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। (शोर) (घंटी) और एक ये (चौ. ईश्वर सिंह) चेयरमैन हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से पावर कम करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा है और अपनी हरियादिली का सबूत दिया है। इनके चेयरमैन में और हमारे चेयरमैन के दिन में

दिन रात का अन्तर है। गरीबौं का नाम लेकर वैसे ही मगरमच्छ के आंसू मेरे विरोधी दल के साथी बहा रहे हैं परन्तु हमदर्दी गरीबों के लिए इनके दिल में तनिक भी नहीं है। (व्यवधान व शोर) उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा आज वह प्रदेश है जिसमें गांव में रहने वाले आदमी कोई भी ज्यादा जमीन वाले नहीं हैं। हरियाणा में बड़े लैंडलार्ड नहीं हैं। सिर्फ चन्द एक आदमियों के पास दो एकड़ या तीन एकड़ से ज्यादा जमीन है, इससे ज्यादा जमीन किसी के पास भी नहीं है। बहुत थोड़े गिनती के आदमियों के पास इससे ज्यादा जमीन होगी यह भी लोकदल के भाई ज्यादा बड़े लैंडलार्ड हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में सिर्फ पिछड़ी हुई जातियां नहीं रहती हरिजन ओर गिरीजन भी रहते हैं। उनको भी ऊपर उठाने की और सरकार को ज्यादार से ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहियें। (व्यवधान व शोर) इसी तरह से मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड क्लासिज के भाई किसान, मजदूर जिन्होंने खून और पसीना एक करके देश की उन्नति पर लाने की हरदम कोशिश की है। उनके लिए हर प्रकार की सहूलियत देना सरकार का कर्तव्य है।

चौ. हरि चन्द हुड्डा: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, स्पीकर साहब, चौ. लहरी सिंह ने तो बहुत सी बातें कहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस आदमी ने चौ. देवी लाल को दबाया, चौ. भजन लाल को चटाया और चौ. चांद राम को

भगाया। (व्यवधान व शोर) इसमें चौ. देवी लाल को दबाया, चौ. भजन लाल को चटाया और चौ. चांद राम को भगाया।

श्री लहरी सिंह मेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चौ. हरि चन्द हुड्डा जी का सम्बन्ध है, ये मेरे बड़े बुजुर्ग साथी हैं। मैं इनको समझता हूं कि ये दरिया दिल हैं और इन्होंने इसका विश्वास पूरे सदन का करा दिया है। जहां तक चौ. चांद राम जी का सम्बन्ध है, पहले ये लोग उनको बहका कर ले गये थे। जब उन्होंने इसकी असलीयत देखी तो फिर अपनी भूल पर पछताये। इन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। (शोर) लेकिन अब फिर चौ. चांद राम जी को ये अपने साथ ले जाने की कोशिश में हैं मैं इनको बता देना चाहता हूं कि माननीय चौ. चांद राम जी हमारे वाहिद लीडर हैं और आकर फिर इनकी छाती पर बैठने वाले हैं और बैठेंगे। (शोर व घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिये। अब आपको स्पीच रिकार्ड नहीं होगी।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अगर आपका ऐसा आदेश है तो मैं बैठ जाता हूं।

चौ. अजीत सिंह (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस गैर–सरकारी प्रस्ताव पर बहस चल रही है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में पांच मांगे कही गयी हैं। पहली मांग तो यह है कि लोक सेवा आयोग में पिछड़ी श्रेणियों

को नुमायंदगी दी जाए। दूसरी मांग यह है कि पिछड़ी श्रेणियों के सम्बन्ध में 3600 रूपये की वार्शिक आय की शर्त हटा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं हाउस से यह निवेदन करूंगा कि यह माननीय सदस्य की मेडन स्पीच है। We must buck him up (Thumping)

चौ. अजीत सिंह: तीसरी मांग जो है वह यह है कि डाक्टरी, इंजीनियरिंग, व्यवसायिक तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जायें तथा पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को फीस मुआफी, उदारता से वजीफे देने तथा ऋण आदि देने की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। चौथी मांग है कि हरिजन कल्याण निगम के आधार पर पिछड़ी श्रेणियों के लिए एक अलग पिछड़ी श्रेणियों का विकास निगम स्थापित किया जाये और पांचवी तथा अन्तिम मांग है कि पिछड़ी श्रेणियों की भलाई के लिए एक अलग पिछड़ी श्रेणियों का विभाग कायम किया जाए। अभी तक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और बहुत से सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अभी–अभी दूसरी ओर से बोलते हुए हमारे साथी ने व्यक्तिगत बातों की चर्चा की इस संकल्प के बारे में उन्होंने चर्चा बहुत कम की। मैं थोड़े से समय में ही दो चार मुख्य सुझाव इस बारे में देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में पिछड़ी श्रेणियों को नुमायंदगी दी जाये क्योंकि पिछड़ा हुआ वर्ग हमारे यहां पर जो है, वह ऐसा हो गया है जिसे लगता है कि उसका कुद नहीं

है। उनके लिए आरक्षण दिया जाये। हमारे प्रदेश में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जैसे लोहार हैं, नाई हैं, धोबी हैं, खाति हैं, जुलाहे हैं उनकी दशा तभी सुधरेगी जब आप ऐसा करेंगे। इनकी दशा सुधरेगी तो हमारे प्रदेश का ढांचा सुधरेगा अगर प्रदेश का ढांचा सुधरेगा तो देश का ढांचा सुधरेगा। आज तक हमारी व्यवस्था ऐसी रही है कि इसके अन्दर सरकार की ओर से पिछड़ी जातियों को कोई संरक्षण और आरक्षण नहीं दिया गया है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग में उन्हें जरूरी नुमायंदगी दी जानी चाहिए। दूसरी बात जहां तक पिछड़ी श्रेणियों के लिए 3600 रू. की वार्शिक आय की बात है, यह शर्त भी हटायी जानी चाहिए। तीसरी बात जो है वह मुख्य है। वह यह है कि डाक्टरी, इंजीनियरिंग तथा अन्य शैक्षिणक संस्थानों आदि में दाखले के लिए पिछड़ी श्रेणियों के लिए 15 प्रतिशत सीटें रिजर्व की जायें। जैसे हमारे जितने भी मैडीकल कालेज हैं, यह इंजीनियारेग कालेज हैं, आई.टी.आई. हैं या दूसरे संस्थान हैं, ऐसे सभी संस्थाओं में उनके लिये 15 प्रतिशत रिजर्वेशन होनी चाहिए। (शोर व व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। इस गरिमामय सदन में मैं आपकी मार्फत बैकवर्ड क्लासिज के नुमायंदे के तौर पर बैठ और बने हुए मिनिस्टर से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वे कम से कम पिछड़े हुए वर्गो के लोगों के बारे में जो कुछ यहां पर कहा जा रहा है, उसे गौर से सुन तो लें।

Mr. Speaker: No direct intervention please, Sh. Ajit Singh ji, please continue.

चौ. अजीत सिंह: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए दाखिले में रिजर्वेशन अवश्य होनी चाहिए। इससे जब इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को दाखिलें मिलेंगे तो इनको हौसला होगा कि हमारी पिछड़ी हुई जातियों के लोग भी इन स्कूलों का कालेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनमें जो अच्छे प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होंगे, वे आगे आयेंगे। जैसे हरिजन बच्चों के लिए यह सुविधा दी हुई है क्योंकि वे ओपन कम्पीटीशन में आगे नहीं आ सकते, इनके लिये भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। इससे जो खाति हैं, लोहार हैं, नाई हैं, धोबी हैं या तेली हैं, उनके लड़के भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेगें। इस सुविधा के मिलने से उनको बहुत सहायता मिल सकती हैं। इसमैं साथ ही बगैर ब्याज का कर्जा भी दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके हौसले बढ़ेगे और अगर उनके हौसले बढ़ेगें तो हमारा प्रदेश ज्यादा तरककी करेगा। वजीफे की व्यवस्था भी इन पिछड़े हुए लोगों के लिए की जानी चाहिए जहां तक ऋण देने की बात है, यह हमारी सरकार नहीं दे रही है। पंजाब वाली सरकार उनको ऋण वगैरा भी दे रही है। पहले जो कुम्हारा हमारे गांव में मिट्टी के बर्तन बनाता था, वह अब खत्म हो गया है, गांव में जो चीजें पहले बनती थी, अब वह खत्म हो गयी हैं, जुलाहे, मोची यानी जितने भी हमारे पिछड़े भाई

हैं, इनके हाथों से उनके उद्योग छिन गए हैं। सरकार को चाहिए कि इनको उद्योग धन्धे लगाने के लिए ऋण दे ताकि यह बेरोजगार नहीं रहें। हम आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने से छोटे उद्योग मृत प्रायः से हो गए हैं यानी वे बिल्कुल ही मर गए हैं। ऐसी पिछड़ी हुई जातियोमं के लोगों को जा अभी भी गांव में बसते हैं, उनको छोटे उद्योग धन्धे लगाने के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया जाना चाहिए वह ऋण बिना ब्याजन के होना चाहिए। उसकी आदयगी भी किश्तों में जोकि आसान हों, ली जाए यह मैं सुझाव देना चाहता हूं। आज हमारे पिछड़े हुए वर्ग की हालत गरीबी के भी नीचे हो गयी है। सच्चाई यह है कि ये लोग इतने गरीब हैं कि समाज में सबसे नीचे रह गए हैं। समाज में उनके नीचे रहने का कारण यह है कि उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया। उन लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वह वर्तमान सरकार है।

12.00 बजे

क्योंकि पिछड़े वर्ग के कल्याण के काम के लिए, नौकरी के लिए, वजीफे के लिए और दाखिले के लिए जितनी भी बातें आई हैं, किसी ने भी उन कल्याणकारी कामों को नहीं उठाया और सदा ही पिछड़े वर्ग के लोगों को दबाकर रखा। दिल से ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। ये लोग अगर दिल से काम करना चाहते तो गरीबों की बहुत ज्यादा सहायता की जा सकती थी।

हरिजन कल्याण निगम की तरफ से बैकवर्ड क्लासिज निगम भी बननी चाहिए। (व्यवधान) अगर बन गई है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं बनी है तो निगम बननी चाहिए। इसी तरह से बोर्ड तथा निगमों की स्थापना करके हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों की सहायता की जा सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज की वैलफेयर के ये इंचार्ज हैं और उसका भला ये सरकार में रहते हुए कर सकते हैं लेकिन ये कहना नहीं चाहते। ये केवल उनके प्रति दिखावा रखते हैं। इनके दिल में कोई दर्द नहीं है। अगर इन कांग्रेस वालों के दिन में दर्द होता तो इतने साल आजादी मिले हो गए है इन बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों का बहुत भला हो सकता था हमारी कांग्रेस सरकार पैसे के बल पर और पूंजीपतियों के सहारे पर चल रही है। पूंजीपति पैसे वाले हैं और वे ही बड़े बड़े कारखाने चला रहे हैं। बड़े कारखाने तभी चल सकते हैं जब कि छोटे उद्योग न पनपें, छोटे उद्योग खत्म हो जाएं। हमारे ये दोस्त पूंजीपतियों के हाथों में बिके हुए हैं और पूंजीपतियों के इशारे पर नाच रहे हैं। इस बारे में मैं एक बार कहना चाहता हूं–

इस पूंजीवादी चक्कर ने दुनिया को नाच नचाया है,

दुर्भिक्ष, दीनता, कंगाली सब पूंजी का ही चक्कर है।

यह सरकार पूंजीपतियों की ऐजेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने की बात है तो खाति, लुहार,

नाई, धोबी और सुनार आदि के जो लड़के हैं उनके लड़कों को वजीफा मिलना चाहिए। कितने ही और तरीके हैं जिनसे इनकी मदद की जा सकती है। परन्तु यह सरकार तो सारे काम दिखावे के लिए कर रही है। दिखावा कुछ करती है और अन्दर कुछ रखती है। यह सरकार पिछड़ी जाति के लोगों को ऊपर नहीं उठाना चाहती हैं इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर उनके दिल में दर्द है तो श्री जय नारायण वर्मा ने पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में जो पांच मांगें रखी हैं उनको मन्जूर किया जाए। अगर सदन उन मांगों को मन्जूर नहीं करता तो इस बारे में वोटिंग होनी चाहिए जिससे पता लग जाएगा कि कौन गरीबों का विरोध करने वाला है और कौन उनका हितैशी है। डिप्टी स्पीकर साहब, इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

चौ. हरिचन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो रैजोल्यूशन हाउस के जेरेगौर है यह बैकवर्ड क्लासिज के उत्थान के बारे में है। डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे अगर देखा जाए तो सारा हिन्दुस्तान ही बैकवर्ड हैं जो मुल्क एक हजार साल तक गुलाम रहा हो वह बैकवर्ड से भी नीचे है। जो देश भुखमरी का शिकार हो वहां के लोग भी भुखमरी के शिकार होंगे ओर जो लोग भुखकरी के शिकार होंगे वे लोग बैकवर्ड होंगे। इसलिए जो लोगों की सोशल कंडीशन को उठाने का रैजोल्यूशन है उसी पर बोलते हुए मैं कहूंगा कि आज जो देश की स्थिति है उस स्थिति में हमें बैकवर्ड पर हंसना नहीं चाहिए। जो लोग उन पर हंसते हैं

उन लोगों की लिस्ट बननी चाहिए। वही लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं। हम जिस लोकदल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वह लोकतन्त्र में विश्वास रखती है और जो नोटतंत्र राज पिछले तीस साल से चल रहा है हम इसको दूर करने जा रहे हैं और वह इसलिए दूर करेंगे कि बीस परसैट हरिजनों का नाम लिया जा रहा है कि इस देश में बीस परसैन्ट हरिजन हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हम इनको चूहड़ा, चमार नहीं कहते हम इनको इन्सान समझते हैं। बीस परसैन्ट बैकवर्ड क्लास के लोग कहे जाते हैं जिनमें खाति, लुहार, नाई वगैरह आते हैं। हम इनको लुहार, खाति नहीं समझते बल्कि इनको इंसान समझते हैं। इन लोगों ने इस तरह से 40 परसैन्ट लोगों को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हिन्दुसतान में 80 फीसदी लोग बैकवर्ड हैं। बीस परसैन्ट लोग ऐसे हैं जो अस्सी परसैन्ट लोगों को लूटकर खा रहे हैं। ऐसे बीस परसैन्ट लोगों की हम लिस्ट बना रहे हैं। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, बीस परसैन्ट आदमी हिन्दुस्तान की अस्सी फीसदी आबादी को खा रहे हैं, कांग्रेस ऐसे आदमियों को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस गरीबों को खत्म करने में उन बीस प्रतिशत पूंजीपतियों को सहारा दे रही है। इसलिए इस रैजोल्यूशन को पास करने का जो मुद्दा है वह यह है कि पता लग जाएगा कि उन गरीबों को सहारा देने वाला कौन है और उनकी खिलाफत करने वाला कौन है। आज जो लोग बैकवर्ड क्लासिज को ऊपर उठाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं उनका पता लग जाएगा कि वे कितने पानी में हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हिन्दुस्तान का किसान

चाहे वह जाट है, चाहे वह अहीर है ओर चाहे वह किसी और जाति का है, वह गरीब है। उसका गुजारा नहीं चल रहा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान एक कृशि प्रधान देश है यहां पर ज्यादा आबादी किसानों की है। इसलिए अस्सी प्रतिशत लोग गरीब हैं और बीस प्रतिशत लोग अस्सी प्रतिशत लोगों का खून चूस रहे हैं। ऐसे लोगों को तलवार से मार देना चाहिए। लोक दल लोकतन्त्र में विश्वास करता है इसलिए मैं अपने दोस्तों ऐ एक ही बात कहना चाहता हूं और खासकर उन लोगों से कहना चाहता हूं जो उधर बैठे हैं कि आप कुर्सी का इतना गुमान न करों। कुर्सी तो आनी जानी चीज है। आप कुर्सी के लिए दल बदल मत करो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यह रैजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। हम इसको स्पोर्ट करते हैं। इसको प्रैक्टिकल शेश हम वक्त आने पर देंगे। मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

क्लोजर

Smt. Sushma Swaraj: (Ambala Cantt.): Deputy Speaker Sahib, under rule 89, I want to move the closure motin and I beg to move–

That the question be now put.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): मैं इसका समर्थन करता हूं।

Mr. Deputy Speaker: I may read out the Rule, Rule 89 reads-

"89(1) At any time after a question has been proposed any member may move, "That the question be now put" and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these Rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the question:-"

Smt. Sushma Swaraj: Unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these Rules or an infringement of the right of reasonable debate, यह मोशन पुट की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर यह जिम्मेदारी आती थी कि मैं आपको बताऊं कि यह रीजनेबल कैसे है। आप भली प्रकार इस से परिचित है कि यह प्रस्ताव इस हाउस में पहली बार नहीं आया है। पिछले तीन सत्रों में इस पर बहस कर चुके हैं। केवल मात्र सरकार वोट से बचने के लिये, क्योंकि अगर वोट होती है तो उनकी पोजीशन खराब होती है और अगर वोट इसके हक में सीध्सी देते हैं ओर यह रैजोल्यूशन पास हो जाता है तो इनको यह आपत्ति होगी कि अपोजीशन को रैजोल्यूशन पास हो गया और अगर ये रिजैक्ट करवाते हैं तो इनसे पिछड़ी जाति के लोगों को हमदर्दी खत्म हो जाएगी। इसलिये ये प्रैक्टिकल तौर पर डिले करना चाहते हैं। आज के एजेन्डे के ऊपर इसके इलावा 4 रजोल्यूशन ओर हैं और उनका महत्व भी बहुत ज्यादा है। इस रैजोल्यूशन के तुरन्त बाद जो रैजोल्यूशन है, वह हरियाणा के प्राइवेट कालेज अध्यापकों से सम्बन्धित है। इसलिए इस रैजोल्यूशन के बारे में जो क्लोजर मोशन है, इसके जरिये कोई इंफ्रिजमेंट मैम्बर्ज के अधिकारों पर नहीं है। बजट पर बोलने के

लिये, गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्कशन के लिये टाइम लिमिट होती है, इस रैजोल्यूशन पर उससे भी ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इसको डिसअलाउ न करें और वोट के लिये हाउस के आगे पेश कर दिया जाए। धन्यवाद।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी जैसा कि बहिन सुशमा जी ने बताया कि पिछले तीन सत्रों से इस रैजोल्यूशन पर चर्चा चल रही है, इसी बात से इस बात की इम्पार्टेन्स जाहिर हो जाती है कि ये लोग इसको कितना चाहते हैं ओर इस इम्पार्टेन्स को देखते हुए इस रैजोल्यूशन पर पूरी तरह से डिस्कशन होनी चाहिये ओर अभी हमारी पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे मैम्बर साहेबान बोलने वाले रहते हैं। इसलिये मेरी रिकवेस्ट यह है कि इस पर अभी डिस्कशन जारी रहनी चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे कम से कम पहले तो आपकी तरफ से बोलने से पहले संरक्षण मिलना चाहिये कि जो–जो बातें मैं कहना चाहता हूं उसको पूरा सदन ध्यान से सुने और मुझे बीच में इंट्रप्ट न किया जाए (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लोजर का मोशन मूव हुआ है, उस पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वर्मा साहब, आप पहले ही 30–35 मिनट अपने मोशन पर बोल चुके हैं।

श्री जय नारायण वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मोशन का मूवर हूं। मैं अपने मोशन के सिलसिले में नहीं बल्कि इस क्लोजर मोशन की स्पोर्ट के लिये 2 मिनट के लिये बोलना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने बहन सुशमा जी ने अपना मोशन मूव किया है, इस रैजोल्यूशन पर पहले ही काफी डिस्कशन हो चुकी है इसलिये क्लोजर मोशन को हाउस में पुट किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं हाउस की सैन्स देखकर ही यह मोशन अभी पुट नहीं कर रहा हूं। (शोर)

श्री बलदेव तायल: डिप्टी स्पीकर साहब, क्लोजर मोशन मूव हो चुका है। आप कृपया रूल 90 के तहत कम से कम टाईम लिमिट तो कर सकते हैं कि इस आइटम पर इतना टाईम लगेगा और उस पर इतना टाईम लगेगा।

चौ. राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर क्लोजर का मोशन मूव हुआ है। उस सम्बन्ध में मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जिस तरह से बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी सभी आइटमज पर समय नियुक्त करती है कि इस रैजोल्यूशन के लिये इतना समय और फलां बिलों के लिये इतना समय होना चाहिये, उसके मुताबिक आज के एजेंडे के बारे में टाईम फिक्स नहीं किया गया हैं तीन सैश्रान पहले गुजर गये हैं, जबसे इस रैजोल्यूशन पर डिस्कशन

चल रही है। इसके अलावा क्या कोई और महत्वपूर्ण रैजोल्यूशन नहीं है, जो कि यहां पर आएगा। इसके इलावा और जो रैजोल्यूशन हैं, वे भी काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिये मैं आपका ध्यान रूल 90 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि –

"90 (1) Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or any other motion becomes, in the opinion of the Speaker, unduly protracted, the Speaker, may, after taking the sense of the Assembly, fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be."

उपाध्यक्ष महोदय, आप एजेण्डा पर देखिये कि इस रैजोल्यूशन के लिये कितना टाईम, और दूसरी आइटम्ज के लिए कितना टाईम है इसलिये आप अलग–अलग आईटम पर टाईम फिक्स कर दें (शोर)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी बहुत से मैम्बर बोलने वाले बाकी है। टाईम लिमिट कैसे होगी?

चौ. राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, आप नान–आफिशियल डे है, इसलिये हर आइटम पर अलग–अलग टाईम फिक्स किया जाना चाहिये था, इसी बारे में मैं पहले रूल 90 आपको यहां पर पढ़ कर सुना चुका हूं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जो इसके मूवर हैं उनकी बातें भी यहां पर आनी चाहिये, वे भी पब्लिक के रिप्रैजैन्टेटिवज हैं उनको अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हरेक आइटम के

लिये अलग–अलग टाईम फिक्स कर दिया जाए (शोर एवं व्यवधान) सारी बातें यहा पर डिस्कस होनी चाहिएं। अगर एक ही मसला 20 दिन तक चलता रहा तेा इसका मतलब यह है कि कोई और मसला इस हाउस के अन्दर डिस्कस नहीं होगा। रूलिंग पार्टी की तरफ से जो इतना महत्वपूर्ण बिल आया है उस पर भी कोई टाईम फिक्स नहीं हुआ। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि रूल 90 बड़ा क्लियर है और आप हाउस से यह पूछ लीजिये कि कितना–कितना टाईम देना चाहिए। आप हाउस की सैन्स लेकर रैजोल्युशन और बिल के लिए टाईम मुकर्रर कर दीजिये। यह एक लीगल प्वायंट है। मैं यही सबमिशन करना चाहता था और जो बहिन सुशमा ने मोशन पुट किया हैं उसका मैं समर्थन करता हूं कि अब इस रैजोल्यूशन पर डिबेट कलोज की जाए।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): डिप्टी स्पीकर साहब, बहिन सुशमा ने जो क्लोजन मोशन दिया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, रूल 89 में लिखा है–

"At any time after a question has been proposed any member may move. "That the question be now put", and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these Rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the question:-

"That the question be now put."

तो इस केस में अलग–अलग किस्म के मोशंज पर मैम्बरों का अधिकार खत्म हो रहा है क्योंकि एक ही मोशन पर लम्बी चौड़ी डिस्कशन हो रही है। मुझें इस बात का अफसोस है कि हम हाउस में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। रूलिंग ग्रुप इस रैजोल्यूशन पर राय देकर इसको खत्म भी नहीं करना चाहता। इनकी मैजोरिटी है अगर ये इस पसन्द नहीं करते तो इस रिजैक्ट कर सकते हैं लेकिन ये रिजैक्ट भी नहीं होने देना चाहते। इस रैजोल्यूशन पर यह पिछले सैशनों से बराबर बहस करवा रहे हैं (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं रिजैंट करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब, खुद लीडर आफ दि हाउस होकर बी में दखल दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि इसी तरह से मैने भी पंचायती राज के संबंध में एक रैजोल्यूशन दिया था और गवर्नमैंट की अश्योरेंस पर उसे 6 मार्च, 1980 को वापिस ले लिया था। उस समय ठाकुर बीर सिंह और राव राम नारायण ने अश्योरेंस दी थी। राव राम नारायण तो चले गये लेकिन ठाकुर साहब तो अभी वजीर हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि जैन साहब जिस तरह से आप चाहते हैं हम उससे भी दो कदम आगे जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि दो कदम आगे तो क्या जाना था ये तो पीछे चले गये है। इसी तरीके से आज भी हम इस प्रस्ताव को वापिस लेने से डरते है। अगर ये इस प्रस्ताव में दी गई बातों को नहीं मानते तो तो यह रिजैक्ट हो सकता है लेकिन इस बहस को लम्बा करना हाउस के टाईम को वेस्ट करना है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रूलिंग ग्रुप हाउस के वेल्यूएबल टाईम को जाया कर रहा है

(शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ये बैकवर्ड क्लासिज के हमदर्द हैं तो ये इस रैजोल्यूशन को स्वीकर क्यों नहीं करते? इस वक्त क्वैश्चन बहुत छोटा सा है कि जो सुशमा जी का मोशन है उसको पुट किया जाए। रूलज के मुताबिक यह पुट होना चाहिए, अगर रिजैक्ट होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन कवैश्चन पुट करना ही पड़ेगा।

Mr. Deputy Speaker: In the connection, I may draw your attention to page 786 of the book "Practice and Procedure of Parliament" by Kaul and Shakdher which says –

"A closure motion may be moved at any time, subject to the condition that if another member is speaking he should be allowed to conclude his speech, and also subject to the right of reply, if any being exercised by the mover. It is in the discretion of the Speaker to accept the motion if he considers that there has been sufficient debate and time is ripe for such a motion. The discretion of the Speaker is limited to the acceptance of the closure motion but the final decision rests with the House to decide whether the debate should end or not. Even if there appears to be a general feeling in the House in favour of the closure motion, the Speaker has full discretion to refuse it if he is of the opinion that there has not been sufficient debate."

यह बात बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने भी थी (शोर)

आवाजें: नहीं जी।

चौ. राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, आप हाउस की सैन्स लेकर टाईम फिक्स कर दीजिये। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में बाबू जी बैठे थे, कोई टाईम फिक्स नहीं किया गया था। (शोर)

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, जो मोशन सुशमा जी ने पुट किया है, उस पर आप वोटिंग करवा दें। हम आपसे जजमैंट नहीं मांग रहे हैं, हाउस अपनी राय देगा।

चौ. भजन लाल: ठीक है हाउस की राय ले लीजिये। हमें कोई एतराज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में यह मैटर आया था उसमें कोई समय तय नहीं किया गया था कि इस पर इतने समय के लिये बहस होगी। अगर मैम्बर साहेबान इस पर और बोलना चाहते हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है? हर मैम्बर को बोलने का अधिकार है। क्या बैकवर्ड क्लासिज के यही ठेकेदार हैं? बैकवर्ड क्लासिज के लिये जितना हमारी सरकार ने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। आप जानते हैं कि हाउस मास्टर है इसलिये आप हाउस की सैन्स ले लीजिये। अगर मैम्बर इस पर और बोलना चाहते हैं तो वे बोलेंगे।

चौ. राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। दो बातें हैं एक तो यह है कि मैंने रूल 90 पढ़ा है उसमें क्लियर है कि हाउस की

सैंस लेकर आप टाईम फिक्स करेंगे। दूसरी बात यह है कि लीडर आफ दी जाउस यह बात कह रहे थे कि मैम्बर इस पर और डिस्कशन करना चाहते हैं। तो कया यह प्रैसीडैंट कायम हो गया है कि जिस भी इशू पर मैम्बर बोलना चाहें उस पर टाईम की स्पीकर साहब की तरु से कोई लिमिट नहीं रहेंगी, उनकी खुली छुट्टी होगी। क्या यह स्पीकर के राइट मैं है?

डा. मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने कौल एंड शकधर की किताब को कोट किया और पेज 786 का हवाला दिया लेकिन उसके बाद आपने आगे पढ़ना छोड़ दिया। उसके आगे लिखा है–

"....However, once the closure motion has been accepted by the Speaker, no discussion is permissible on the question whether there has been sufficient debate or not..."

इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, अब आप इसमें इन्टरफियर करें। आप हाउस की सैन्स ले लीजिये कि यह रैजोल्यूशन तीन सैशनों से चल रहा है आया यह सफीशिएंटली डिबेट हो चुका है या नहीं। अगर मेरे भाई बैकवर्ड क्लासिज के लिए इतने ही मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं तो इस प्रस्ताव को मान क्यों नहीं लेते?

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। (व्यवधान) मेरी आपसे सबमिशन भी है और आग्रह भी करता हूं कि इस रैजोल्यूशन पर डिबेट लम्बी करके हाउस का समय जाया न किया जाए। (व्यवधान एवं शोर)

चौ. भजन लाल: आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। (शोर)

चौ. राम लाल वधवा: आप कौन से रूल के तहत प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वधवा साहब, आप इतनी बार प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुए हैं, आप किस रूल के तहत खड़े हुए थे? (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर यह है कि जब रैजोल्यूशन पर मैम्बर बोलना चाहते हों तो आप उनको किस रूल के तहत रोक सकते हैं? मैम्बर्ज को बोलने देना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस प्वायंट पर कुछ बोलना चाहती हूं। इसमें पहले अगर कुछ मंत्री महोदय बोलना चाहते हों तो मेरे से पहले बोल सकते हैं वरना मुझे बोलने की इजाजत की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल लें। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: डिप्टी स्पीकर सहाब, मुख्यमंत्री जी और दूसरे सदस्य जो ट्रैजरी बैचिज पर बैठे हैं .....(व्यवधान) मेरी बात सुन तो लीजिए। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ मंत्रियों ने और ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से कई सदस्यों ने कहा कि वे इस

प्रस्ताव से हमदर्दी रखते हैं इसलिए वे इस प्रस्ताव पर और ज्यादा बोलना चाहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि सरकार बैंचिज के सदस्यों और अपोजीशन बैंचिज के सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव के जरिए पिछड़ी जातियों के साथ हमदर्दी जाहिर करने के दायरे अलग अलग हैं। विपक्षी पक्ष अपनी हमदर्दी कुछ बात कह कर जाहिर कह सकता है और ट्रेजरी बैंचिज वाले बात कह कर नहीं बल्कि कुछ कर के जाहिर कर सकते हैं, इनको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। (व्यवधान) अपोजीशन वाले अपनी बात कह चुके हैं आप अपोजीशन की तरफ से पिछड़ी जातियों के लोग सन्तुश्ट हैं लेकिन रूलिंग पार्टी की तरफ से सन्तुश्ट नहीं हैं (व्यवधान) If the Speaker is satisfied that reasonable time has been taken .....(Interruptions.)

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): This is no point of order. This is a speech. What is your point of order? (Interruptions.)

श्रीमती सुशमा स्वराज: विपक्ष वाले तो कुछ कह कर उनसे हमदर्दी जाहिर कर सकते हैं लेकिन सरकार तो समस्याओं का समाधाान करके ही अपनी हमदर्दी दिखा सकती है। हमने तो अपनी हमदर्दी पूरी दिखाई है और अन्त में हय कह रहे हैं कि इस विशय पर डिबेट पूरी हो चुकी है, अब सरकार ने इनकी समस्याओं को हल करना है। अगर सरकार इनकी समस्याओं को सही मान लेती है तो इस पर आगे डिबेट करने की जरूरत नहीं हैं। (व्यवधान)

जेल तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौ. शिव राम वर्मा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए काफी कुछ किया है। इनके लिए रिजर्वेशन बढ़ा दी और एक निगम की स्थापना भी कर दी है। सरकार अपनी तरफ से तो पूरी कार्यवाही कर रही है, इससे ज्यादा ये और क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाइए, डिबेट का रिप्लाई देने के लिए आप खड़े हो सकते हैं लेकिन स्पीच देने के लिए न खड़े हों। (व्यवधान)

श्री जयनारायण वर्मा: आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, सुशमा जी ने जो मोशन मूव की है, इस पर मैं अर्ज करना चाहता हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने कौल एंड शकधर की किताब को कोट किया जिससे दो बातें जाहिर होती हैं। एक बात तो यह कि यदि कोई मैम्बर बोल रहा हो तो मोशन मूव नहीं हो सकता। इसके बारे में सही पोजीशन यह है कि जिस वक्त सुशमा जी ने मोशन मूव किया उस वक्त मैम्बर्ज नहीं बोल रहे थे इसलिए उन्होंने मोशन मूव कर दी। इसके अलावा मोशन मूव करते समय मूवर आफ दी रैजोल्यूशन ने उन्हें नहीं रोका और न ही इसके विरोध में कोई औब्जैक्शन रेज किया था। (व्यवधान)

Mr. Speaker: The Speaker should also be satisfied. I am not satisfied. Therefore, I am rejecting this motion as I feel the time has not come to allow it. (Interruptions.)

श्रीमती सुशमा स्वराज: इसकी रिजैक्शन के लिए you have to satisfy the member also. (Interruptions.)

Mr. Deputy Speaker: I am not satisfied. I have given my Ruling. Please sit down.

श्रीमती सुशमा स्वराज: डिप्टी स्पीकर साहब, आपने कौल एंड शकधर की रूलिंग पढ़ी। इसके मुताबिक जहां तक सैटिस्फैक्शन का ताल्लुक है, सैटिस्फैकशन डिप्टी स्पीकर की नहीं होनी चाहिए, हाउस की सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। (व्यवधान) सदन के मैम्बर डिबेट से सैटिस्फाइड हैं। (व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Sushma Ji, I am not safisfied. I have given my ruling. Please sit down (Interruptions & Noise) अब सरदार सुखदेव सिंह जी बोलेंगे। (व्यवधान)

वाक आउट

Sh. Baldev Tayal: Mr. Deputy Speaker, Sir, I may humbly submit that before you resume the debute on the Resolution.

* * * *

Mr. Deputy Speaker: Nothing will be recorded.

(At this stage, all the members of the Opposition except Sh. Jai naraiin Verma staged a walk out.)

नेमिंग आफ मैम्बर

श्री जयनारायण वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री जयनारायण वर्मा: मैं रैजोल्यूशन का मूवर हूं, मुझे कुछ कहना है, आप एक मिनट सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री जयनारायण वर्मा: आप मुझे एक मिनट के लिए सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे बार–बार निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री जयनारायण वर्मा: बोलने का तो मेरा राईट है, आप सुन लीजिए। **श्री जयनारायण वर्मा**:

Mr. Deputy Speaker: I name Sh. Jai Narain Verma (Interruptions.)

He may please withdraw from the House.

(At this stage the hon. Member withdrew from the House)

गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, बैकवर्ड क्लासिज के लिए हंमारी पार्टी और सरकार ने क्या काम किया है उसको यह सुनना नहीं चाहते, यह बड़ी शर्म की बात है। (शोर) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस के सफा 2 पर बताया है कि दो करोड़ रूपये देकर के सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज के लिए एक कार्पोरेशन बनाया है। (विघ्न)

बैठकर का निलम्बन

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत के कहना चाहूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष: आप अभी बैठिए, सरदार सुखदेव सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री भले राम: वे तो बोल चुके हैं।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं अभी बोल रहा हूं।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष: आप अभी बैठिए। आपको मैं बाद में पूरी टाईम दूंगा।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मुझे बड़ी देर से टाईम नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद आप जितना टाईम मांगेंगे उतना मैं दे दूंगा लेकिन अब आप बीच में इंट्रप्ट न करें। (विघ्न)

श्री भले राम: स्पीकर साहब, आप मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए।

Mr. Speaker: I adjourn the House for fifteen minutes.

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 12.58 p.m.)

क्लोजार (पुनरारम्भ)

डा. मंगल सैन: (रोहतक) स्पीकर साहब, मैं रूल 89 के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यहां पर लभगग डेढ़ वर्श से एक

रैजोल्यूशन पर बहस हो रही है। उसके बारे में बहिन सुशमा जी ने एक क्लोजर मोशन मूव की थी। क्लोजर मोशन मूव करने के बाद चेयर की तरफ से कौल एंड शकधर की किताब में से कुछ बातों के विशय में हवाला दिया गया था। उस किताब के पेज 786 पर लिखा है कि –

"At any time after a motion has been made, a member can move for closure, and if he does so, the motion "That the question be now put" is put by the Speaker unless it appears to him that the closure motion is an abuse of the Rules or an infringement of the right of reasonable debate. If the motion "That the question be put" is carried, the question or questions consequent thereon are put forth with without further debate, subject to the right of reply which may be allowed by the Speaker to a Member."

If is further written, Sir, that –

"A closure motion may be moved at any time, subject to the condition that if another member is speaking he should be allowed to conclude his speech, and also subject to the right of reply....."

Mr. Speaker: Thank you very much. I agree that the closure motion can be moved subject to the condition that if an hon. Member is speaking, he should be allowed to complete his speech. Let Dr. Sukhdev Singh speak.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, जब क्लोजर मोशन का सवाल उठाया गया उन समय जो मैम्बर पहले बोल रहे थे वे अपनी सीट पर बैठ गये थे।

Mr. Speaker: I may again read out the provision from the book written by Kaul and Shakdher. It reads –

"A closure motion may be moved at any time subject to the condition that if another member is speaking he should be allowed to conclude his speech and also subject to the right of reply if any, being exercised by the mover. It is in the discretion of the Speaker to accept the motion if he considers that there has been sufficient debate and time is ripe for such a motion."

So the Deputy Speaker, who was in the Chair at the time this closure motion was sought to be moved, exercised his discretion and he thought that sufficient debate has not taken place and that the time was not ripe for the motion. It is the discretion to the extent of acceptance of the closure motion but the final decision rests with the House whether the debate should end or it should not end.

13.00 बजे

Sh. Verender Singh: Sir, that was our contention.

Dr. Mangal Sein: Sir, the Deputy Speaker, who was in the Chair when the motion was moved did not put the motion to the vote of the House which is obligatory.

Mr. Speaker: No, it is not obligatory. I may again read from that book. It is very clear. It says that –

"It is in the discretion of the Speaker to accept the motion if he considers that there has been sufficient debate and time is ripe for such a motion."

इससे साफा जाहिर है कि यह चेयर की डिस्क्रिशन है कि इस मोशन को एक्सेप्ट करे या न करे। अगर चेयर समझती है कि इस पर सफिशिएन्ट डिबेट नहीं हुई और बहुत से आनरेबल मैम्बर्ज बोलना चाहते हैं तो उस हालत में भले वह हमारी बात को स्वीकार न करें।

चौ. राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्वायंट आफर आर्डर को छोड़ देता हूं (शोर) मैं आपका ध्यान रूल 90 की तरफ दिलाता हूं।

Mr. Speaker: Whatever point has been decided by the Deputy Speaker, who was in the Chair at that time, is final.

चौ. राम लाल वधवा: उनसे यह डिसाइड नहीं हुआ है। मैं नई बात कह रहा हूं। उन्होंने डिसीजन नहीं दिया था।

Rule 90 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly says –

"Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or any other motion becomes, in the opinion of the Speaker, unduly protracted, the Speaker may, after taking the

sense of the Assembly, fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be."

अध्यक्ष महोदय आज का जो एजेंडा है उसमें दो चीजें हैं, रैजोल्यूशन और बिल। इसलिए मैं रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि हाउस की सैंस लेकर कम से कम आप टाईम फिक्स कर दें कि बिल पर इतना समय लगेगा और रैजोल्यूशन पर इतना समय लगेगा।

Mr. Speaker: The time for raising this issue will be given after Dr. Sukh Dev Singh has completed his speech.

गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

सरदार सुखदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपोजीशन के जिस भाई ने यह रैजोल्यूशन मूव किया है वे अपने आपको चुटाला का रहने वाला बताते हैं। वे अपने आपको बहुत बड़ा समझते हैं। वह मेरे अच्छे मित्र हैं लेकिन * * * *। (शोर)

Sh. Verender Singh: The member is not present in the House, The hon. Member has been named by the Hon. Deputy Speaker. He is not present in the House.

श्री अध्यक्ष: यह कोई डैरोगेटरी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि वे मेरे अच्छे मित्र हैं और चुटाला के रहने वाले हैं। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: इन्होंने कहा कि * * * * । यह अच्छी बात नहीं कह रहे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: गिरेबान में मुहं डालने वाले शब्द ऐक्सपंज कर दिए जाएं।

सरदार सुखदेव सिंह: तो यह कह रहा हूं कि * * * *। (शोर)

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, @ @ @ @

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

सरदार सुखदेव सिंह: जिस मेरे भाई ने इस रैजोल्यूशन को रखा है। (शोर) अध्यक्ष महोदय, पंजाबी में एक कहावत है कि छज तो बोले छालनी क्या बोले? (शोर)

चौ. राम लाल वधवा: यह बिलकुल सच्ची बात बोल रहे हैं। यह इन्हीं पर लागू होती। (शोर)

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, हाउस में खम्भे पर साफ–2 लिखा है कि

सभा में या तो प्रवेश न किया जाए या

यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पश्ट और

सच बात कही जाए क्योंकि वहां न बोलने से

यह गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में

मनुश्य पाप का भागी बन जाता है। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: छज तो बोले छालनी क्या बोले यह कहावत हरियाणा की है पंजाब की नहीं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: पंजाब और हरियाणा में कोई फर्क नहीं है। (शोर)

चौ. राम लाल वधवा: वीरेन्द्र सिंह जी ये अपने मैम्बरों को ही कह रहे हैं तुम क्यों बोल रहे हो?

सरदार सुखदेव सिंह: इन्हें मेरी अच्छी बात सुनने का हाजमा होना चाहिए। (शोर)

Mr. Speaker: Dr. Sukh Dev Singh is coming out with some gem. He must be listened.

सरकार सुखदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा जी ने अभी बैकवर्ड क्लासिज के बारे में कहा है कि हमें उनके साथ बड़ी हमदर्दी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। लोकदल के भाई शोर ही शोर मचो रहते हैं इसके अलावा इनकी कोई हमदर्दी उनके साथ

नहीं है। इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? इसमें जरा हमारी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: अगर आप लोग सुखदेव सिंह जी को शान्ति से सुनते तो अब तक श्री भलेराम को भी बोलने का मौका मिल जाता। (शोर)

सरदार सुखदेव सिंह: जिस मेरे भाई ने यह रैजोल्यूशन रखा है वे खुद चुटाला से बिलौंग करते हैं। उसी चुटाला के इनकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री अढ़ाई साल तक यहां रहे। वे अपने आपको बहुत बड़ा लीडर मानते थे। (शोर) जो भी बात वे कहते थे उसे 5 मिनट के बाद भूल जाते थे। (शोर)

श्री लहरी सिंह मेहरा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं डा. साहब से पूछना चाहता हूं कि जो बात वे भूल जाते थे क्या उनको आप याद नहीं करवाते थे? (शोर)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। जो हाउस में प्रेजेंट नहीं है उसकी शान के खिलाफ कुछ न कहा जाए। (शोर)

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, ये शब्द एक्सपंज होने चाहिएं। (शोर)

Mr. Speaker: If there is anything derogatory that should be expunged. (Interruptions.)

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस साथी ने यहां पर यह प्रस्ताव रखा है, जिस पार्टी में वे आज बैठे हैं, जब उस पार्टी की सरकार थी जिसमें ये भी शामिल थे, उसने पिछड़े हुए वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। (शोर व व्यवधान)

चौ. उदय सिंह दलाल: * * * * (शोर व व्यवधान)

वित्त मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। मैं इस बात पर आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या कोई आदमी जो इस हाउस का आनरेबल मैम्बर है, उसकी किसी आदमी के साथ कोई एसोसिएशन है, उसके बारे में यह कह दिया जाए कि फलां, * * * * क्या ऐसी बातों को हाउस में डिस्कम करने की इजाजत है?

श्री अध्यक्ष: वैसे तो keeping in view the dignity of labour जूते साफ करना या बर्तन साफ करना कोई बुरा नहीं है लेकिन जहां तक इनका सम्बन्ध किसी आनरेबल मैम्बर से है, वह रिमार्क्स ऐक्सपंज कर दिए जाएंगे।

सरदार सुखदेव सिंह: मैं वर्मा जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनके दिल में बैकवर्ड क्लासिज के लिए इतनी हमदर्दी है तो उन्होंने सिवाय अपने लिए कारें खरीदने के और कोठी बनाने के और क्या कार्यवाही की या क्या किया? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह हमारी ही गवर्नमैंट थी, जिसने उनकी तरक्की के

लिए कुछ किया है। मैं उन्हें यह बताया चाहता हूं कि हमने क्या–क्या किया है? इस बारे में गवर्नर साहब के एड्रैस के पेज 2 पर लिखा हुआ है अगर कोई भाई पढ़ा लिखा हुआ हो, पढ़ना लिखना जानता हो तो पढ़ लें। (शोर व व्यवधान)

चौ. सतबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इन्होंने यह कहा कि अगर सिकी को पढ़ना लिखना आता हो तो पढ़ ले जैसे हममें से कोई पढ़ना लिखना जानता ही नहीं। * * * *

Mr. Speaker: This is not a point of order. These remarks should be expunged. डाक्टर साहब, अब आप बाईण्ड अप करें क्योंकि भले राम जी ने भी बोलना है? (व्यवधान व शोर)

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, यह मेरे बारे में बात तो करते हैं लेकिन इन्होंने हरियाणा का 15 करोड़ रूपये का नुकसान किया था जब ये एक्साईज मिनिस्टर होते थे। (व्यवधान व शोर) इनके कामों में ऐसे काम शामिल हैं।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, इन्होंने दो सौ आदमियों को मार कर घाटा पूरा कर लिया है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि यह दोस्ताना गुफ्तगू बाहर जाकर कर लें तो अच्छा रहेगा।

चौ. उदय सिंह दलाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, बात ऐसे है कि आपको सब बातों का अन्दाजा

तो है ही। सिवाय यहां पर डेढ़ बजाने के और कोई रौला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कल वाली बात चलने दो, इन्होंने क्या बोलना है?

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपको बता रहा था कि.....

श्रीमती सुशमा स्वराज: आप ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। मेरा प्वायंट आफर आर्डर 178 नियम के अधीन है जिसमें रैज्योलूशन पर की जाने वाली बहस के बारे में डयूरेशन आफ स्पीच का जिक्र किया गया है। रूल 178 में लिखा है:–

"No speech on a resolution except with the permission of the Speaker, shll exceed fifteen minutes in duration."

स्पीकर साहब, जब हाउस एडजर्न हुआ तो सरदार सुखदेव सिंह जी बाले रहे थे और उससे पहले दो–तीन मिनट तक बोल चुके थे। जब हाउस री–असैम्बल हुआ तो आपने यह कहा होगा कि as he was on his legs when the House adjourned, he would now continue. मैं हाउस में थोड़ा लेट आयी वे दो तीन मिनट तब तक और बोल चुके होंगे। जब मैंने टाईम नोट किया तो एक बजकर 5 मिनट हो चुके थे। इस तरह से अब तक वे 18 मिनट से भी ज्यादा बोल चुके है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सुखदेव सिंह जी को हटाकर दूसरे मैम्बर को बुलवाया जाए।

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, एक मिनट भी इन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। All the time has been taken either by Smt. Sushma Swaraj herself or by Ch. Bhalle Ram And Ch. Ude singh Dalal. Thus his time has been taken by all the members of the opposition and he has hardly spoken for three minutes.

सरदार सुखदेव सिंह: मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमैंट ने यानी हमारी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमैंट ने बैकवर्ड क्लासिज के लिए जो कुछ किया है, वह हिस्टरी में एक मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी और लोग याद रखेंगे। हमारे ये लोकदल के भाई यू ही मगरमच्छ के आसू बहाते थे। अगर प्रैक्टिकली ये कुछ करना चाहते तो जब ये पावर में थे तो बहुत कफछ कर सकते थे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे इन भाईयों ने अपनी पार्टी के राज में किसी बैकवर्ड क्लास के भाई को किसी बोर्ड या कारपोरेशन का चेयरमैन नहीं बनाया। मैं यह कह सकता हूं कि सिवाए अपने रिश्तेदारों को बोर्ड या कारपोरेशन के चेयरमैन बनाने के और इन्होंने कोई काम नहीं यिका। एक रिश्तेदार को तो इन्होंने 25–30 कमेटियों का मैम्बर बना दिया। फिर उसका जब बहुत ज्यादा रौला मचने लगा तो निकाल दिया गया। ये लोग बैकवर्ड क्लासिद्ध से बड़ी हमदर्दी जताते हैं। श्री जयनारायण वर्मा जी भी मिनिस्ट्री के लिए गौडे रगड़ते रहे। लेकिन इनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। स्पीकर साहब, गवर्नर साहब के एड्रैस के पेज 2 पर 'हरियाणा पिछड़े वर्ग

'कल्याण निगम' के बारे में जिक्र है, यह उसे पढ़ सकते हैं। कान्फैड के चेयरमैन बैकवर्ड जाति से ताल्लुक रखते हैं, दो मिनिस्टर हैं जो बैकवर्ड जातियों से ताल्लुक रखते है। ऐसे बोर्डो का नम्बर जिनके चेयरमैन बैकवर्ड जाति से सम्बन्ध रखते हैं तो इतना ज्यादा है कि अगर मैं इनको गिरवाने लग जाऊं तो इनकी आखें चौधिंया जाएंगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इनकी भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। बातें तो बहुत हैं लेकिन टाईम थोड़ा है। पालिसी की बात मैं कह राह था। पिछड़े हुए वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो इस एड्रैस में कहा गया है, वह मेरे भाई पढ़ लें जो यहां पर यह कह गये हैं कि इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान व शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इनका भाशण बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया बोलने वाले हैं ओर बहुत अच्छे वक्ता हैं .. ..(व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker: No interruptions please. Dr. Sahib, please wind up.

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं इनको पढ़कर सुना देता हूं। इन्होंने शायद गवर्नर एड्रैस पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं इनको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, 5 मिनट हाउस का टाईम बाकी रह गया है। हाउस का टाईम आधा घंटा बढ़ाया जाए ताकि जो बिल है, वह भी जरूर डिस्कस हो जाए। (व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker: Order please. Now I will take the sense of the House. एक सुझाव आया है कि चूंकि मैम्बर साहेबान अभी और डिबेट करना चाहते है इसलिए हाउस का टाईम आधा घंटा बढ़ाया जाए।

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Speaker Sahib, if you permit me, I would suggest a vai-media, इस रैजोल्यूशन पर अभी दो दिन और डिस्कशन चल सकती है। आगे भी नोन–औफिशियल डे आएंगे। इसलिए समय बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर व व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: इसमें कांग्रेस (आई) के मैम्बर का भी रैजोल्यूशन है, उसको भी लेना चाहिए। (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हाउस का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने पूछा लिया है। I have taken the sense of the House, It is not the sense of the House that the time should be extended.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर सहाब, इस पर हम डिविजन मांगते है।

विरोधी पक्ष से आवाजें: इस पर डिविजन होनी चाहिए।

Mr. Speaker: If any body wants division. I will have a division.

Mr. Speaker after calling upon those Members who wre for 'Aye' and those who weere for 'No' respectively to rise in their places and on a court having been taken declared that the motion was lost.

The motion was lost.

श्री अध्यक्ष: अब सदन शुक्रवार, दिनांक 13.3.1981 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थागित किया जाता है।

***13.32. बजे**

(तत्पश्चात् सदन शुक्रवार दिनांक 13.3.1981 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ)